कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- 07570299010 ई-मेल:-piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र....71.... सिवनी मालवा, दिनांक....26/02/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्टे. वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत । (वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. आपका पत्र क्र**. / एफ- 3 /16/2018/10-11/1134, दिनांक 20.02.2024**
2.भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का **पत्र क्र 8-16/2023- FC**
दिनांक 16.02.2024

---------00----------

उपरोक्त संदर्भित में निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने जिला होशंगाबाद, बैतूल हरदा एवं खंडवा के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (V) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है ।

अतः भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वांछित अतिरिक्त (V) बिन्दुओ की जानकारी का पालन प्रतिवेदन एवं वस्तुस्थिति सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रिम कार्यवाही के लिए आपकी ओर सादर प्रेषित है ।

केंद्र सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 28.02.2024 को AC की बैठक में एजेंडा क्र. 8 में परियोजना के वन प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति हेतु सम्मिलित किया गया है ।

अतः निवेदन है कि परियोजना की वस्तुस्थिति एवं स्पष्टीकरण वन विभाग द्वारा जारी गाईडलाइन Forest Consolidated Guidelines and clarifications issued under VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980 and Van (sanrakshak Evam Samvardhan) Rules, 2023, दिनांक 29/12/2023 के आधार पर अग्रिम कार्यवाही के लिए आपकी ओर सादर प्रस्तुत है ।

संलग्न - पालन प्रतिवेदन एवं संबंधित अनुलग्नक ।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

पत्र क्र........................ सिवनी मालवा, दिनांक............

प्रतिलिपि:- 1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त खंडवा/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

2. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल /खंडवा / जबलपुर, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवशयक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र.)

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project
Compliance Report

MoEF File No. 8-16/2023-FC **Proposal No. FP/MP/IRRIG/36231/2018**

<table>
<tr><th>S No.</th><th>DESCRIPTION OF SHORTCOMINGS OBSERVED</th><th>REPLY OF SHORTCOMING OBSERVED</th></tr>
<tr><td>1</td><td>In order to have actual assessment of the no. of trees involved in the project, the species wise and girth class wise complete enumeration of the trees falling in proposed diversion area as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.</td><td>
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाइन दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र.1.4 (Vi) में यह प्रावधानित किया है, कि 10 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में वृक्षों की गणना सेम्पल प्लाट या कार्य योजना के अनुसार की जा सकती है ।
अतः प्रस्ताव में सेम्पल प्लाट की गणना या कार्य योजना में कक्ष वार अंकित वृक्षों के आधार पर दिए जाने का अनुरोध है ।
परियोजना के निर्माण में 2250.05 हेक्ट. वन भूमि पर वृक्षों की गणना का विवरण निम्नानुसार है -
<table>
<tr><th rowspan="2">क्र.</th><th rowspan="2">वनमंडल</th><th rowspan="2">प्रस्तावित वन भूमि (हेक्ट.में)</th><th colspan="2">वृक्षों की गणना</th><th rowspan="2">वनमंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण की दिनांक</th></tr>
<tr><th>सेम्पलिंग के आधार पर</th><th>वास्तविक आधार पर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>उत्तर बैतूल</td><td>188.89</td><td>निरंक</td><td>17781</td><td>04/01/2023</td></tr>
<tr><td>2</td><td>पश्चिम बैतूल</td><td>34.46</td><td>निरंक</td><td>465</td><td>09/12/2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>हरदा</td><td>809.09</td><td>299706</td><td>140631</td><td>21/02/2023</td></tr>
<tr><td>4</td><td>खंडवा</td><td>2.19</td><td>निरंक</td><td>1537</td><td>01/02/2023</td></tr>
<tr><td>5</td><td>नर्मदापुरम</td><td>1215.42</td><td>417526</td><td>निरंक</td><td>08/02/2023</td></tr>
<tr><td></td><td>योग</td><td>2250.05</td><td>717232</td><td>160414</td><td></td></tr>
</table>
वनमंडल नर्मदापुरम द्वारा 520.651 हेक्ट. वनभूमि का वृक्ष गणना कार्य निष्पादित किया जा चुका है । इसके अनुसार वृक्षों की संख्या 1,14,578 है । कुल आवेदित 2250.05 हेक्ट. में से 2250.05 - 1555.281 = 694.769 हेक्ट. की वास्तविक वृक्षों की गणना शेष है । (अनुलग्नक - 1)
</td></tr>
</table>

2	The study of the possible impacts of the project on the Biodiversity and Wildlife by Wildlife Institute of India along with the specie recommendation from the CWLW and State Govt. as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	प्रस्ताव में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु सक्षम संस्थाओ जैसे IIFM, WII, WCT,WWFN आदि को लेख किया गया है। इन संस्थाओ से सहमति प्राप्त होने पर किसी एक संस्था से यह कार्य करवाया जावेगा। भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16/01/2023 के अनुसार वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना सैधान्तिक स्वीकृति के उपरांत प्रस्तुत की जा सकती है। अतः प्रस्ताव में वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात् औपचारिक स्वीकृति के पूर्व प्रस्तुत कर दी जावेगी। तैयार वन्यप्राणी प्रबन्धन योजना को मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक के अनुमोदन उपरांत प्रदान कर दिया जावेगा। भारत सरकार के परिपत्र दिनांक के अनुसार आवेदक संस्था परियोजना लागत की 2% राशि जमा करने हेतु भी सहमत है। (अनुलग्नक - 2)
3	The recommendations/ Comments of National Tiger Conservation Authority (NTCA) on the instant proposal as requested has not been submitted by the State Govt. which needs submission.	बिंदु क्र. 2 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी। जहा यह भी उल्लेखनीय है कि परियोजना में प्रभावित वन क्षेत्र की वन्यप्राणी स्वीकृति हेतु ऑनलाइन प्रकरण प्रदत किया जा चुका है, जिसका ऑनलाइन प्रकरण क्र. WL/MP/IRRIG/452403/2023 है। इस प्रस्ताव पर सामान्तर रूप से कार्यवाही प्रचलित है। (अनुलग्नक - 3)
4	Necessary action as per rules to seek the requisite recommendations of NBWL/ SBWL as requested has not been taken by the State Govt. which needs submission.	बिंदु क्र. 3 पर दिये विवरण अनुसार यह कार्यवाही सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात पूर्ण कर ली जावेगी।

<table>
<tr>
<td>5</td>
<td>The complete CA scheme, along with relevant documents, revenue record, maps and KML files for the total non-forest land proposal for Compensatory Afforestation and to ensure that the proposed area is free from all Encumbrances as requested has not been submitted by the State Govt. Which needs submission.</td>
<td>परियोजना समतुल्य गैर वन भूमि का आवंटन संबंधित जिलाधीश द्वारा जिला सागर में 1457.46 हेक्ट., जिला आगर मालवा में 275.28 हेक्ट., जिला जबलपुर में 170 हेक्ट. एवं जिला बैतूल में 386.469 हेक्ट. कुल गैर वनभूमि 2289.209 हेक्ट. का आवंटन किया गया है I जिसमे से आज दिनांक 25.02.2024 तक जबलपुर की 170 हेक्ट., सागर की 463.28 हेक्ट. एवं आगर मालवा की 212.420 हेक्ट.कुल 845.7 हेक्ट.की वृक्षारोपण योजना तैयार की जा चुकी है I यह बिंदु वन विभाग से सम्बंधित है। यहाँ यह भी उल्लेखित है कि भारत सरकार द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र. 11 (10) के अनुसार 1000 हेक्ट. से अधिक के प्रस्तावों में चरणों में भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। वन विभाग द्वारा जारी नियमों दिनांक 29/12/2023 के बिंदु क्र. 9.1 के अनुसार चरण वार स्वीकृति भारत सरकार द्वारा अनुमति दिये जाने के प्रावधान है। प्रस्ताव में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रभावित गैर वन भूमि सैधान्तिक स्वीकृति के पश्चात अतिक्रमण मुक्त कर वन विभाग को सौपी जावेगी।
2250.05 हेक्ट. वन भूमि का प्रस्तावित चरण वार विवरण निम्नलिखित है -
<table>
<tr><th>S No.</th><th>Phase</th><th>Component</th><th>Proposed area in Ha.</th><th>Proposed CA Area in Ha.</th></tr>
<tr><td>1</td><td>First</td><td>Dam Seat and Sluice, Pipeline PH/DC, Spillway channel with Fish Ladder, Approach & Diversion Road, Transmission Line</td><td>116.27</td><td>Jabalpur – 116.27 ha.
(CA Scheme TS Done)</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Second</td><td>(FRL-4)</td><td>1135.57</td><td>Jabalpur 31.73 ha.
1. Aagar Malwa 275.28 ha. (212.62 ha.CA Scheme TS Done)
2. Sagar 828.56 ha. (463.28 ha. CA Scheme prepared by Ranger Kesali Sent to DFO South Sagar Office for TS)</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Third</td><td>(FRL-4)</td><td>616.748</td><td>Sagar 616.748 ha.
(under process)</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Fourth</td><td>(FRL)</td><td>381.462</td><td>Sagar 130.132 ha.
Betul 251.33 ha.
(under process)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>Total</td><td>2250.05</td><td>845.7 Ha. CA Scheme prepared. (1404.35 ha. CA Scheme Under process)</td></tr>
</table>
पूर्व में आवेदित वनक्षेत्र 2272.50 हेक्ट.में प्रथम चरण में 138.27 हेक्ट प्रस्तावित था, वर्तमान में खदान क्षेत्र का 22 हेक्ट. रकबा कम कर दिया गया, जिसके बाद प्रस्तावित वनक्षेत्र 2250.05 हेक्ट. हो गया है, जिसमे प्रथम चरण में 116.27 हेक्ट. वनक्षेत्र प्रस्तावित है I(अनुलग्नक - 4)</td>
</tr>
</table>

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

Annexure - 1

CONSOLIDATED GUIDELINES AND CLARIFICATIONS

issued under

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) ADHINIYAM, 1980

and

VAN (SANRAKSHAN EVAM SAMVARDHAN) RULES, 2023

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

Government of India
Ministry of Environment, Forests and Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 29th December, 2023

ORDER

In exercise of the powers conferred under section 3 C of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, the Central Government, in suppression to all previous guidelines, hereby issue a Consolidated Guidelines and Clarifications on Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023, including the guidelines issued under sub-section (3) of section 1A, clause (iii) of sub-section (1) of section 2 and sub-section (2) of section 2 of the Adhiniyam for effective and transparent implementation of the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. All the provisions enshrined in these guidelines will be applicable from 1st December, 2023.

This issues with the approval of the competent authority.

Yours faithfully,

29.12.23

(Ramesh Kumar Pandey)
Inspector General of Forest

Distribution to:

1. All concerned
2. Director (Technical), NIC with a request to upload the same on the website of the Ministry

(ii) Proposals will be submitted and processed through PARIVESH portal only. No physical copy of proposal shall be insisted by any authority in the State or in the Central Government. Only exceptional cases, related to defence, public interest or emergent nature, may be allowed by the Central Government to be submitted offline

(iii) Rectifications of the entries made in the online proposals which are beyond the domain of user agency and processing authorities in the State/UT and Regional Offices may be allowed by the Central Government through NIC with the approval of Inspector General of Forests on case to case basis.

(iv) In view the dynamic changes in the various guidelines based on policy decision of the Central Government or direction of Courts/Tribunals, the Central Government may modify the online modules for submission, processing and approval of the proposals to align the online modules with the provisions of guidelines and policy decisions.

(v) The user agency shall submit an undertaking along with the proposal submitted online to abide by all the provisions of the Adhiniyam, Rules and guidelines issued thereunder by the Central Government from time to time, applicable to their project.

(vi) Species-wise and diameter class-wise abstract of trees to be felled should be furnished in the prescribed form. Total enumeration is necessary only up to 10 hectares. For larger areas, species-wise and diameter class-wise abstract of trees may be computed either from the working plans or by standard sampling methods.

(vii) Proposal seeking prior approval of the Central Government under the provisions of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 should invariably be accompanied with cost benefit analysis in accordance with the provisions of guidelines enclosed at **Annexure-I**.

(viii) Inclusion of activities in Annual Plan Operation (APO) of CAMPA of those proposals where 'final approval' has not been accorded under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 shall not be considered. The State Governments/Union Territory Administrations shall ensure that after obtaining 'in-principle' approval of the Central Government under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980, efforts should be made to ensure compliance of 'in-principle' approval and to obtain 'Final' approval as soon as possible to avoid *fait accompli* situation and also to ensure timely implementation of provisions of APOs containing the mitigating measures in lieu of non-forestry use of forest land allowed by the Central Government.

(ix) Completeness of the proposal, submitted by the State Government and Union territory Administration, shall be assessed, as per the checklist annexed at **Annexure-V** before its submission to the Regional Empowered Committee and Advisory Committee.

MORAND & GANAJAL IRRIGATION PROJECT									
Narmadapuram compartment wise forest area marking tree details									
SL. NO	DIV NAME	RANGE NAME	COMPARTMENT NO.	COMPARTMENT AREA	LGL STATUS RF/PF	BALNCE AREA	COMPLETE AREA	BEAT NAME	Remarks
1	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	365	0.429	RF	0.429	0	AMAKATRA	
2	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	366	0.596	RF	0.596	0	AMAKATRA	
3	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	367	1.039	RF	1.039	0	GEETKHEDA	
4	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	369	0.196	RF	0.196	0	VARUGHAT	
5	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	372	0.924	RF	0.000	0.924	GEETKHEDA	COMPLETE AREA
6	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	373	0.736	RF	0.736	0	GEETKHEDA	
7	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	386	0.025	RF	0.000	0.025	PALASI	COMPLETE AREA
8	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	387	0.883	RF	0.000	0.883	PALASI	COMPLETE AREA
9	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	388	20.261	RF	0.000	20.261	PALASI	COMPLETE AREA
10	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	390	0.686	RF	0.000	0.686	MORIYA	COMPLETE AREA
11	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	391	0.364	RF	0.000	0.364	MORIYA	COMPLETE AREA
12	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	392	61.365	RF	46.365	15	MORGHAT	RUNING
13	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	393	18.345	RF	18.345	0	MORGHAT	
14	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	394	20.021	RF	20.021	0	KAMTHA	
15	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	395	5.882	RF	5.882	0	KAMATHA	
16	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	396	1.327	RF	1.327	0	DHAVIDA	
17	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	398	9.964	RF	9.964	0	DHAVIDA	
18	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	399	128.164	RF	128.164	0	SAMARDHA	
19	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	400	6.067	RF	6.067	0	SAMARDHA	
20	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	401	97.303	RF	97.303	0	LAHI	
21	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	402	191.086	RF	191.086	0	LAHI	
22	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	403	147.003	RF	0.000	147.003	MAHUDHANA	COMPLETE AREA
23	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	404	115.631	RF	55.631	60	MORGHAT	RUNING
24	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	405	1.116	RF	0.116	1	LOKHARTALAI	RUNING
25	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	407	51.376	RF	0.000	51.376	MAHUDHANA	COMPLETE AREA
26	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	408	102.446	RF	0.000	102.446	MAHUDHANA	COMPLETE AREA
27	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	409	0.245	RF	0.000	0.245	JAMANI	COMPLETE AREA
28	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	414	19.621	RF	0.000	19.621	BUDIMAI	COMPLETE AREA
29	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	415	24.21	RF	0.000	24.21	BEELTALI	COMPLETE AREA
30	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	416	2.119	RF	0.000	2.119	BEELTALI	COMPLETE AREA
31	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	420	0.123	RF	0.000	0.123	BENDRIPURA	COMPLETE AREA
32	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	421	9.189	RF	0.000	9.189	TAKRIPURA	COMPLETE AREA
33	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	422	11.121	RF	0.000	11.121	TAKRIPURA	COMPLETE AREA
34	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	464	0.029	PF	0.029	0	MANAKPURA	
35	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	466	24.934	PF	24.934	0	SAMARDHA	
36	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	469	21.98	PF	21.980	0	DHAVIDA	
37	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	470	13.628	PF	13.628	0	DHAVIDA	
38	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	471	1.633	PF	1.633	0	DHAVIDA	
39	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	472	3.953	PF	3.953	0	DHAVIDA	
40	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	479	0.046	PF	0.046	0	GURANJGHAT	
41	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	480	2.385	PF	1.385	1	LOKHARTALAI	RUNING
42	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	481	39.655	PF	0.000	39.655	LOKHARTALAI	COMPLETE AREA
43	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	482	0.745	PF	0.345	0.4	JHIRANPURA	COMPLETE AREA
44	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	483	1.127	PF	0.127	1	SANTAI	RUNING
45	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	484	0.02	PF	0.020	0	SANTAI	
46	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	485	0.031	PF	0.031	0	SANTAI	
47	NARMADAPURAM	SEONI MALWA	489	55.391	PF	43.391	12	LAHI	RUNING
				1215.420		**694.77**	**520.651**		

MORAND & GANJAL IRRIGATION PROJECT										
Hoshangabad Compartment wise Forest Area										
Sl.no	Date	Range Name	RA Circle	Compt. No.	Compt. Area	RF/PF	Block Name	Beat Name	Per day Tree nos	upto day Tree nos
1	13/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki	489	55.391	PF	Lahi	Lahi	1242	1242
2	14/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki	489	55.391	PF	Lahi	Lahi	1009	2251
3	16/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	387	2638
4	18/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	366	3004
5	19/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	638	3642
6	20/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	663	4305
7	21/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	864	5169
8	22/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1534	6703
9	23/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1428	8131
10		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	300	8431
11		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	250	8681
12	24/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1541	10222
13		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	400	10622
14		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	300	10922
15	25/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1426	12348
16		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	350	12698
17		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	300	12998
18	26/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1169	14167
19		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	530	14697
20		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	300	14997
21	27/12/2023	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	309	15306
22		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	700	16006
23		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	350	16356
24	28/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	40.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	305	16661
25	29/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	560	17221
26		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	700	17921
27	30/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	600	18521
28		Seoni Malwa	Lokhartalai	388	20.261	RF	Lokhartalai	Palasi	750	19271
29		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	600	19871
30	31/12/2023	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	500	20371
31		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	550	20921
32		Seoni Malwa	Vanchoki	392	61.365	RF	Morghat	Morghat	700	21621
33	01/02/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	1000	22621
34		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	370	22991
35		Seoni Malwa	Vanchoki	392	61.365	RF	Morghat	Morghat	500	23491
36	01/03/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	400	23891
37		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	800	24691

38		Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	218	24909
39	01/04/2024	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	550	25459
40	01/05/2024	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	600	26059
41	01/06/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1073	27132
42		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	580	27712
43	01/08/2024	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	611	28323
44		Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1506	29829
45	01/09/2024	Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	615	30444
46		Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1490	31934
47	01/10/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1841	33775
48		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	600	34375
49	01/11/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1730	36105
50		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.655	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	602	36707
51		Seoni Malwa	Santai	482	0.745	PF	Moriya	Jhirnapura	295	37002
52		Seoni Malwa	Vanchoki	390	0.686	RF	Moriya	Moriya	260	37262
53	01/12/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	390	0.686	RF	Moriya	Moriya	320	37582
54		Seoni Malwa	Santai	483	1.127	PF	Santai	Santai	358	37940
55		Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1768	39708
56		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	481	39.656	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	690	40398
57	13/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	1636	42034
58		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	480	2.385	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	500	42534
59		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	480	3.385	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	374	42908
60	14/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	400	43308
61		Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	1628	44936
62		Seoni Malwa	Vanchoki Lokhartalai	480	3.385	PF	Sirupura,morghat	Lokhartalai	680	45616
63	16/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	408	102.446	RF	Mahudhana	Mahudhana	600	46216
64		Seoni Malwa	Jamani	409	0.245	RF	Manakpur	Jamani	0	46216
65		Seoni Malwa		khasra no.05	32.100		Revenue gov.	Morghat	510	46726
66	17/1/2024	Seoni Malwa		khasra no.05	32.100		Revenue gov.	Morghat	250	46976
67	19/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	975	47951
68		Banapura	Naharkola	420	0.123	RF	Budimai	Takripura	0	47951
69		Seoni Malwa	Naharkola	421	9.189	RF	Budimai	Takripura	109	48060
70	20/1/2024	Banapura	Naharkola	422	11.121	RF	Budimai	Takripura	89	48149
71		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	602	48751
72		Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	1290	50041
73	21/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	1135	51176
74		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	863	52039
75		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Manakpur	Beeltalai	78	52117
76	22/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	1468	53585
77		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	830	54415

78	23/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	765	55180
79		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	700	55880
80	24/1/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	1050	56930
81		Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	401	57331
82	25/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	1598	58929
83		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	1199	60128
84	27/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Manakpur	Beeltalai	118	60246
85		Seoni Malwa	Jamani	407	51.376	RF	Budimai	Mahudhana	512	60758
		Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Morghat	Morghat	200	60958
86	28/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	800	61758
87		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	400	62158
88		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Manakpur	Beeltalai	155	62313
89	29/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1852	64165
90		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	760	64925
91		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Manakpur	Beeltalai	195	65120
92	30/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2704	67824
93		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	900	68724
94		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Manakpur	Beeltalai	180	68904
95	31/1/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1980	70884
96		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	895	71779
97	02/01/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2472	74251
98		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	975	75226
99	02/02/2024	Seoni Malwa	Jamani	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2415	77641
		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Jamani	Jamani	200	77841
100	4/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	885	78726
101		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	598	79324
102		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Jamani	Jamani	100	79424
103	5/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1655	81079
104		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	750	81829
105	6/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2090	83919
106		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	662	84581

107		Seoni Malwa	Vanchoki	415	24.21	RF	Jamani	Jamani	182	84763
108	7/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2470	87233
109		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	730	87963
110		Seoni Malwa	Jamani	415	24.21	RF	Jamani	Jamani	240	88203
111	8/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2425	90628
112		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	765	91393
113		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	210	91603
114	9/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	2055	93658
115		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	735	94393
116		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	224	94617
117	10/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1785	96402
118		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	370	96772
119	11/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1258	98030
120		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	655	98685
121	12/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	483	99168
122		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	445	99613
123	13/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	852	100465
124		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	252	100717
125		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	269	100986
126	14/02/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1090	102076
127		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	850	102926
128		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	164	103090
129	15/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	900	103990
130	16/2/2024	Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	331	104321
131	17/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	1598	105919
132	18/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	480	106399
133		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	350	106749
134		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	208	106957
135		Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	610	107567
136		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	865	108432
137		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	345	108777
138	19/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	403	147.003	RF	Mahudhana	Mahudhana	625	109402
139		Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	1060	110462
140		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	177	110639
141	20/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	1720	112359
142	21/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	823	113182
143		Seoni Malwa	Jamani	414	19.621	RF	Budimai	Mahudhana	146	113328
144	22/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	950	114278
145	23/2/2024	Seoni Malwa	Vanchoki	404	115.631	RF	Morghat	Morghat	300	114578

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी भौरा (सामान्य), जिला बैतूल मध्यप्रदेश

E- Mail:- rotbhaura@mp.gov.in Ph., Mo. Number 9424790308

क्रमांक/2022/....1189.. भौरा, दिनॉक08/7/2022

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा.) वनमण्डल

द्वारा :- उप वनमण्डलाधिकारी , शाहपुर (सा.) उप वनमण्डल

विषय :- मोरण्ड-गंजाल संयुक्त परियोजना से प्रभावित वनक्षेत्र के लिये वन-व्यपवर्तन प्रकरण (प्रथम चरण) भाग - 2

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./2021/8568 दिनांक 22.12.2021 एवं 2457 दिनांक 06.04.2022 तथा 4985 दिनांक 04.07.2022

==000::000==

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भानुसार निवेदन है कि, इस परिक्षेत्र के अंतर्गत मोरण्ड-गंजाल संयुक्त परियोजना कक्ष क्रमांक RF 73, RF 74, RF 75, RF 76, RF 80, RF 81, RF 82, RF 83, RF 84, RF 88 रकबा 189.08 हे. का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रभावित हो रहे वृक्षों की गणना कर निर्धारित प्रपत्र में अनुमानित उत्पादन गणना पत्रक तैयार कर आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

क्रमांक	बीट का नाम	कक्ष क्रमांक	रकबा	वृक्ष संख्या	रिमार्क
1	देवटान	RF 73	0.1	17	
2	टाकरा	RF 74	49.2	6863	
3	टाकरा	RF 75	31.61	2994	
4	टाकरा	RF 76	2.51	122	
5	टाकरा	RF 80	21.92	2484	
6	टाकरा	RF 81	41.1	3475	
7	देवटान	RF 82	41.27	1825	
8		RF 83			
9	देवटान	RF 84	1.05	9	
10	टाकरा	RF 88	0.32	9	

संलग्न :- 1. अनुमानित उत्पादन गणना पत्रक 09

2. पिलर की जी.पी.एस. रिडिंग पत्रक

3. मानचित्र पर दर्शित पिलर

4. पिलरों की छायाचित्र

वन परिक्षेत्र अधिकारी

भौरा (सा.)

मौका पंचनामा स्थान - जामनगरी बीट

दिनांक - 11/02/2022

हम नीचे अंगूठा / हस्ताक्षरकर्ता पंचगण मौके की इस बात की तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 05/02/2022 से 11/02/20 तक श्री बंशीलाल कंधारे जुनियर इंजीनियर मोरन-गंजाल परियोजना, प० स बालाडोंगरी, बीट प्रभारी जामनगरी एवं अन्य सुरक्षा श्रमिकों के समक्ष रहकर गंजाल/मोरन परियोजना (डेम निर्माण) में डूब क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कक्ष क्रमांक बीट जामनगरी PF-364, 365, 366 एवं RF-26, 27 में विभिन्न प्रजाति के वृक्षों का मार्किंग कार्य किया गया। मार्किंग कार्य के दौरान विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों पर भाखी नदी के किनारे मार्किंग का सीरियल नंबर वृक्षों पर लिखा गया तथा मार्किंग किये गये वृक्षों को रिकार्ड कर अक्षांश-देशांश लेकर रजिस्टर/मार्किंग बुक में लिखा गया। मार्किंग वृक्षों की गणना करने पर विभिन्न प्रजातियों के 465 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के कटाई योग्य पाये गये।

मौके पर पंचनामा बनाया गया पढ़कर सुनाया गया सही पाये जाने पर पंचगणों द्वारा अंगूठा/हस्ताक्षर किये जो वक्त जरूरत पर काम आवे।

हस्ताक्षर गवाह

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया।

1 शिवप्रसाद / जगन्नू — शिवप्रसाद

2 कैलाश / छगनलाल - कैलाश

3 BBhum
पद: J. Engg. (NVDA)

4 Salonki (सेतोबसिंह सोलंकी)

[signature]
संतोष कुमार उईके
बीट प्रभारी जामनगरी

[signature]
परिक्षेत्र सहायक
बालाडोंगरी

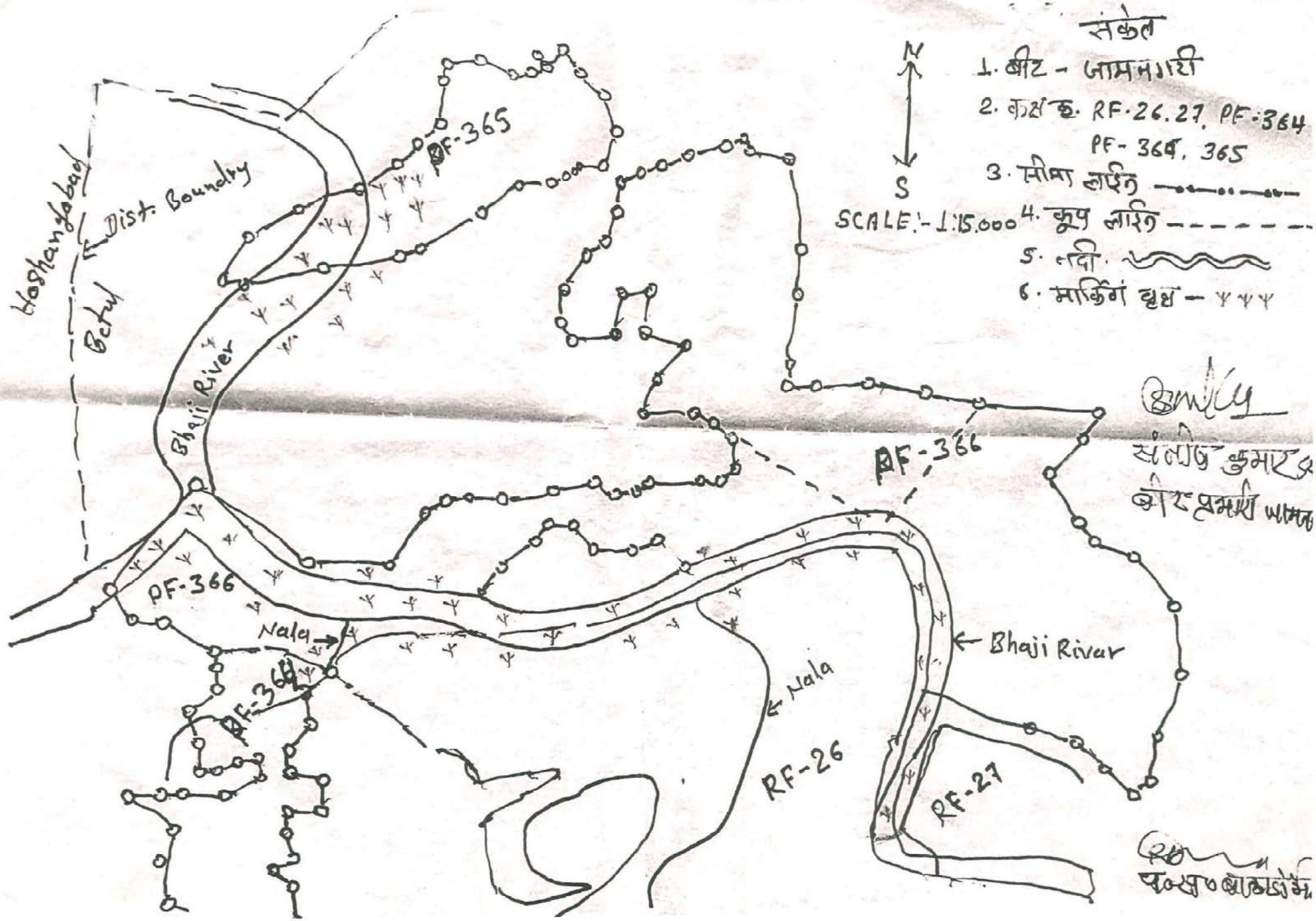
संकेत
1. बीट - जामनगरी
2. कक्ष क्र. RF-26.27, PF-364
PF-366, 365
3. सीमा लाईन
4. कूप लाईन
5. नदी
6. मार्किंग वृक्ष
N
S
SCALE:- 1:15.000
Hoshangabad
Betul
Dist. Boundry
Bhaji River
PF-365
PF-366
PF-364
Nala
Bhaji Rivar
RF-26
RF-27

बीट— जामनगरी कक्ष RF 26, 27, PF 364, 365, 366 — गवालेन परिक्षेत्र (क्षेत्र वैकल्प पश्चिम वैकल्प

[illegible]	21/30	31/40	41/50	51/60	61/70	71/80	81/90	91/100	101/110	111/120	121/130	131/140	141/150	151/160	161/170	171/180	180 से ऊपर	अन्य योग
[illegible]	–	6	–	6	5	7	10	12	21	24	30	22	12	16	9	3	14	197
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4	4
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
[illegible]	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	1	2	1	–	–	–	5
[illegible]	–	–	1	–	–	–	4	2	2	–	2	6	4		5	3	195	223
[illegible]		1	1	–	4	2	3	4	3	1	1	–	–	–	1	–	13	35

योग 465

परिक्षेत्र सहायक
लालाडोंगरी

संतोष ठाकरे
वन रक्षक जामनगरी

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, टेमागांव (सामान्य)

क्रमांक / 122 रहटगांव, दिनांक 13.01.2023

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी
सामान्य वनमंडल हरदा

द्वारा :- श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी (उत्तर) सामान्य हरदा।

विषय :- जिला होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2272.05 हे. वन भूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बावत्।

संदर्भ :- कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष–भू प्रबंध) सतपुड़ा भवन म.प्र. भोपाल पत्र क्र/एफ–3/16/2018/10–11/97 दिनांक 06.01.2023

उपरोक्त संदर्भित विषयांर्तगत निवेदन है कि संदर्भित पत्र के परिपालन में वन परिक्षेत्र टेमागॉव सामान्य के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के गंजाल बॉध के निर्माण हेतु मुख्य बॉध स्थल स्पिल चैनल/शूट फाल के लिये (रकबा 14.241 हे.), एफ.आर.एल. लेवल पर डूब क्षेत्र (रकबा 672.584 हे.), नहर निर्माण के लिये बिछाई जा रही पाईप लाईन हेतु क्षेत्र (रकबा 8.570 हे.), खदान क्षेत्र (रकबा 21.417 हे.), पहुँच मार्ग क्षेत्र (रकबा 17.059 हे.), एवं विद्युत लाईन हेतु क्षेत्र (रकबा 4.124 हे.), इस प्रकार कुल परिक्षेत्र रकबा 737.994 हे. प्रभावित हो रहा है। मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के गंजाल बॉध में वृक्षो की अनुपात अनुसार उपरोक्त रकबे में संख्या 140162 है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :- अनुपातिक वृक्ष सूची

(डी.पी.गोस्वामी)
परिक्षेत्र अधिकारी
टेमागांव (सामान्य)

परिक्षेत्र टेमागॉव सामान्य के अंतर्गत आने वाली वन भूमि का मदवार अनुपातिक विवरण

क्र.	कार्य जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता है	वन मण्डल	परिक्षेत्र	वन खण्ड	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्ट.में)	वृक्षों की गणना
1	मुख्य बांध साइट बांध लाइन रिपल वे / रिपल चैनल / शूट	हरदा	टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	260	0.469	89
			टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	264	5.288	1004
			टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	239	8.484	1611
					योग		14.241	2704
2	मुख्य बांध का डूब क्षेत्र	हरदा	टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	267	24.734	4697
					आरक्षित	260	45.198	8584
					आरक्षित	263	20.951	3979
					आरक्षित	254	12.600	2392
					आरक्षित	264	29.092	5525
					आरक्षित	262	84.357	16021
					आरक्षित	265	188.473	35797
					आरक्षित	236	62.287	11829
					आरक्षित	236	0.192	36
					आरक्षित	239	62.095	11793
			टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	266	99.728	18942
					आरक्षित	237	42.878	8143
					योग		672.584	127738
3	पाईप लाईन का क्षेत्र	हरदा	टेमागांव	जिनवानी	संरक्षित	246	0.015	3
		हरदा	टेमागांव	जिनवानी	संरक्षित	249	0.221	42
		हरदा	टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	251	0.768	146
		हरदा	टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	252	2.842	540
		हरदा	टेमागांव		आरक्षित	254	3.009	571
		हरदा	टेमागांव	पाडरमाटी	संरक्षित	255	0.674	128
		हरदा	टेमागांव	पाडरमाटी	संरक्षित	256	0.494	94
		हरदा	टेमागांव	चीरपुरा	संरक्षित	257	0.545	104
					योग		8.570	1628
4	खदान	हरदा	टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	240	5.932	1127
					आरक्षित	239	15.485	2941
					योग		21.417	4068
5	पहुंच मार्ग	हरदा	टेमागांव		आरक्षित	239	2.463	468
		हरदा	टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	240	2.819	535
		हरदा	टेमागांव	उसकली	संरक्षित	244	0.490	93
		हरदा	टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	245	2.031	386
		हरदा	टेमागांव	जिनवानी	संरक्षित	249	2.493	474
		हरदा	टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	250	1.033	196
		हरदा	टेमागांव	महुआखाल	आरक्षित	251	1.459	277
		हरदा	टेमागांव	जावर्धा	आरक्षित	252	1.100	209
		हरदा	टेमागांव		आरक्षित	254	3.164	601
		हरदा	टेमागांव	कपसी पूर्व	संरक्षित	277	0.008	1
					योग		17.059	3240
6	विद्युत लाइन	हरदा	टेमागांव	पांडरमाटी	संरक्षित	255	0.461	88
				जावर्धा	आरक्षित	252	3.663	696
					योग		4.124	784
					कुल योग		737.994	140162

डी.पी. गोस्वामी
वन परिक्षेत्र अधिकारी
टेमागांव ([illegible])

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी रहटगांव (सामान्य)

क्रमांक / मा.चि / 186 दिनांक 17 / 02 / 2023

मोबाईल नं. 9424791952, ई–मेल RotRahatgaon@mp.gov.in

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय

सामान्य वनमंडल हरदा

विषय :– जिला नर्मदापुरम् बैतूल एवं हरदा के अन्तर्गत मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में।

——0000——

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में परिक्षेत्र रहटगांव के [illegible]नुसार कक्ष आना दर्शाया गया है जिनमें चिन्हित क्षेत्र में खड़े वृक्षो की गणना की जाकर मार्किंग बुक [illegible]नुसार पत्र के संलग्न सादर प्रस्तुत है।

संलग्न :– (1) कक्ष 178 आर.एफ. कायरी वृक्ष संख्या 34

(2) कक्ष 181 आर.एफ. कायरी वृक्ष संख्या 58

(3) कक्ष 193 आर.एफ. आमसागर वृक्ष संख्या 01

(4) कक्ष 195 आर.एफ. आमसागर वृक्ष संख्या 01

(पी.एस.पुर्वे)

वन परिक्षेत्र अधिकारी

रहटगांव सामान्य

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी रहटगांव (सामान्य)

क्रमांक //85/ दिनांक 07/02/2023
मोबाईल नं. 9424791952, ई–मेल RotRahatgaon@mp.gov.in

प्रति,

श्रीमान उप वनमंडलाधिकारी महोदय
उत्तर हरदा सामान्य

विषय :– जिला नर्मदापुरम् बैतूल एवं हरदा के अन्तर्गत मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :– कार्यालय उप वनमंडलाधिकारी उत्तर हरदा पत्र कमांक/254 दिनांक 02.02.23

------0000------

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से चाही गई जानकारी मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में परिक्षेत्र रहटगांव के निम्नानुसार कक्ष आना दर्शाया गया है जिनमें चिनहित क्षेत्र में खडत्रे वृक्षो की गणना की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सादर प्रस्तुत है

कं.	कक्ष कमांक	प्रजाति	0/30 से.मी.	31/60 से.मी.	61/90 से.मी.	91/120 से.मी.	121/150 से.मी.	150 से उपर	योग
1	178,181	सागौन	0	08	12	08	24	21	73
		कलम	0	01	01	01	04	03	10
		साज	0	0	0	0	01	03	04
		लेडिया	0	0	0	0	01	02	03
		धावड़ा	0	0	0	0	01	01	02
		योग	0	09	13	09	31	30	92
2	193	महुआ	0	0	0	0	0	1	01
3	195	गूलर	0	0	0	0	0	1	01
		कुल योग	0	09	13	09	31	32	94

कक्ष कमांक 184 क्षेत्र जो कि वनग्राम बोथी सीमा के अन्दर आने के कारण टेमागांव परिक्षेत्र के बीटगार्ड बोथी द्वारा द्वारा गणना की जा चुकी है। उपरोक्त पाये गये वृक्षो की अनुमानित गणना पत्रक पृथक से प्रस्तुत किया जा रहा है। परिक्षेत्र रहटगांव के अन्तर्गत आने वाले कक्षों में जिनमें परियोजना का कार्य किया जाना है उनमें कक्ष 193 एवं 195 जो कि आमसागर बीट के अन्तर्गत आते है उक्त क्षेत्र से नहर कार्य हेतु पाईप लाईन डाली जावेगी। वनग्राम क्षेत्र नही आत है बीट कायरी के कक्ष कमांक 178 एवं 181 में जो क्षेत्र परियोजना हेतु चिन्हित किया गया है उसमें नदी के किनारे का क्षेत्र है एवं निम्नानुसार कृषको का खेती रकबा आ रहा है।

कं0	खेती रकबा काबिज का नाम	वनग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	श्री रामदास/सुन्दरलाल गौलान	कायरी	72	1.618 हे0
2	श्री मांगीलाल/गोरू गौलान		67	1.092 हे0
3	श्री कालूराम/सालकराम गौलान		43/2	0.656 हे0
4	श्री सालकराम/रामकिसन गौलान		43/1	2.500 हे0
5	श्री गुमान/बिहारी गौलान		105	0.162 हे0
6	श्री रामरतन/घूड़िया गौलान (फौत)		41	1.942 हे0

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर प्रस्तुत है।

(पी.एल.धुर्वे)
वन परिक्षेत्र अधिकारी
रहटगांव सामान्य

Letter Disc-G

प्रति,

हरदा वन मण्डल के अंतर्गत आने वाली वन भूमि का मदवार विवरण

हरदा वन मण्डल

वन परिक्षेत्र रहटगाँव (सा०)

क.	कार्य जिसके लिए वन भूमि की आवश्यकता है	वन मण्डल	परिक्षेत्र	वन खण्ड	आरक्षित / संरक्षित	कक्ष क्रमांक	रकबा (हेक्ट.में)	अनुपातिक वृक्षों की संख्या
1	मुख्य बांध का डूब क्षेत्र	हरदा	रेहटगांव	जावर्धा	आरक्षित	184	79.507	15098
					आरक्षित	178	6.944	1318
					आरक्षित	181	2.438	462
					योग		**88.89**	**16878**
2	पाईप लाईन का क्षेत्र	हरदा	रेहटगांव	जावर्धा	आरक्षित	193	0.108	20
				कसरनी	संरक्षित	195	0.136	25
					योग		**0.24**	**45**
					कुल योग		**89.132**	**16923**

वन परिक्षेत्र अधिकारी
रहटगाँव (सामान्य)

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी हंडिया (सा0) हरदा (म0प्र0)

☎ PH:- 9424791954 ✉ Email : rothandia@mp.gov.in

क्रमांक / 234 हरदा, दिनाँक 9/2/2023

5146
15/2/23

प्रति,

श्रीमान वनमंडलाधिकारी महोदय
कार्या0 वनमंडल हरदा सामान्य

विषय :— जिला नर्मदापुरम,बैतुल एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :— आपका पत्र कमांक / मा0चि0 / 484 दिनांक 27 / 01 / 2023

****

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत निवेदन है कि, मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में हरदा सामान्य वनमंडल के अंतर्गत वन परिक्षेत्र हंडिया सामान्य में प्रभावित वृत्त रैसलुपर, बीट बंदी, के कक्ष कमांक 346 पी.एफ रकबा 82.160 हे0 में मोरण्ड गंजाल सिंचाई परियोजना में प्रभावित वनक्षेत्र में पी.आई.यू श्री बनवारी लाल भैंसारे के समक्ष सूची में दर्शित जी.पी.एस रिडिंग की जॉच कक्ष कमांक 346 पी.एफ. की के0एम0एल0 फाईल से मिलान किया गया। मिलान करने पर प्रभावित क्षेत्र कक्ष की वन सीमा से बाहर होना पाया गया। जी.पी.एस रिडिंग अनुसार वनसीमा से अधिकतम दूरी 280 मी. एवं न्यूनतम दूरी 24.7 मी. पाई गई। जॉच प्रतिवेदन तैयार कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न :— सम्पूर्ण प्रकरण।

के0एल0मंडलेकर
उ0व0क्षे0
प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी
हंडिया सा0

15/2/23

प्रपत्र – फार्म न0 – 30

वर्ष 2022–23 में किये जाने वाले मोरन गंजार सिंचाई परियोजना में कक्ष कमांक 346 पी.एफ. वीट वंदी,वृत्त रैसलपुर में विदोहन की अनुमानित उत्पादन की मात्रा

वनमंडल :-- सामान्य वनमंडल हरदा –

वन परिक्षेत्र हंडिया सामान्य

क्र0	परिक्षेत्र का नाम	वार्किंग सार्कल का नाम	कूप का प्रकार	प्रकार	कक्ष क्रमांक		कुल रकवा	कार्य योग्य	फेलिंग सिरिज	मार्किंग वृक्षों की संख्या			अनुमानित उत्पादन की मात्रा						डिपो से दूरी		
					पुराना	नया	रकवा हे0 में	रकवा हे0 में		सागौन	सतकटा	योग	सा0लट्ठा	सा0बल्ली नग घ.मी.	सागौन जलाऊ	सतकटा लट्ठा	सतकटा बल्ली	सतकटा जलाऊ	पक्का	कच्चा	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13.	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	हंडिया सा0	रैसलपुर	आर.डी.एफ	–	468 PF	346 PF	82.160	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक

के0एल0मंडलेकर
उ व क्षे
प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी
हंडिया सा0

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी मकड़ाई (सामान्य)

सिराली, जिलाहरदा (म.प्र.) – 461331 -94247-91956 Email –Rotmakrai@mp.gov.in

क्रमांक/183 सिराली, दिनांक/01.02.2023

प्रति,

श्रीमान वनमंडल अधिकारी महोदय
वनमंडल हरदा (सामान्य)

विषय :- जिला नर्मदापुरम बैतूल एवं हरदा के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./484 हरदा दिनांक- 27.01.2023

-----------000000----------

उपरोक्तविषयान्तर्गतनिवेदनहै, किवनपरिक्षेत्रमकड़ाई (सामान्य) केअंतर्गत जिला हरदा में मोरंड गंजाल सिचाई परियोजना के निर्माण कार्य हेतु आने वाले वनग्रामो में निवासरत नागरिको की जानकारी एवं वनकक्षो का कक्षवार रकबा तथा क्षेत्र में आने वाले वृक्षो की गणना कर विस्तृत जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर प्रतिवेदन श्रीमान जी की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

संलग्न – प्रपत्र कक्ष क्रमांक 155,146,107,162 एवं 164 की मार्किंग बुके एवं गोस्वारा

(मुकेश रघुवंशी)
परिक्षेत्र अधिकारी
मकड़ाई (सामान्य)

मार्किंग।

Divisional Forest Officer
Harda Division (General)

4769
8/2/23

वन परिक्षेत्र मकडाई सामान्य के अंतर्गत मोरंड गंजाल सिचाई परियोजना के निर्माण के संबंध में आने वाले वृक्षो की जानकारी वर्ष -2022											
Species-wise local/scientific names and girth-wisw enumeration of trees											
S.No.	Beat	comp.n.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm	(31-60)cm	(61-90)cm	(91-120)cm	(121-150)cm	(>150)cm	Total
1	जूनापानी	155	सागौन	सागौन	74	4	4	31	22	7	142
	जूनापानी	155	महुआ	महुआ	0	0	1	0	2	1	4
	जूनापानी	155	पलास	पलास	0	0	9	4	1	1	15
2	रतनपुर	146	सागौन	सागौन	0	2	5	23	13	3	46
	रतनपुर	146	साज	साज	0	0	0	0	1	0	1
	रतनपुर	146	महुआ	महुआ	0	0	0	0	0	2	2
	रतनपुर	146	पलास	पलास	0	1	2	2	0	0	5
3	भीमपुरा	107	सागौन	सागौन	0	0	1	26	8	3	38
	भीमपुरा	107	कलम	कलम	0	0	1	0	0	1	2
4	रिछाडिया	164	सागौन	सागौन	8	0	0	7	20	5	40
	रिछाडिया	164	साज	साज	0	0	0	0	1	0	1
	रिछाडिया	164	महुआ	महुआ	0	0	0	0	2	2	4
	रिछाडिया	164	कलम	कलम	0	0	0	0	0	1	1
	रिछाडिया	164	धावडा	धावडा	0	0	0	1	0	0	1
5	रिछाडिया	162, 164	सागौन	सागौन	24	9	2	29	7	0	71
	रिछाडिया	162, 164	साज	साज	0	0	0	2	0	0	2
Total-					106	16	25	125	77	26	375
नोट - बीट रतनपुर के कक्ष क्रमांक -146 PF में बांस रोपित पौधो की संख्या 160											
नोट - बीट रतनपुर के कक्ष क्रमांक -146 PF में बांस भिर्रा की संख्या 98											

वन परिक्षेत्र अधिकारी
मकडाई (सामान्य)

म.प्र. शासन वन विभाग

मौका पंचनामा

—— x ——

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचगण सही सही तस्दीक करते हैं ऐसा कि आज दिनांक 16/01/2022 को वनमण्डल खण्डवा (सा०) के कार्यालयीन पत्र पृ० क्रमांक 5634 दिनांक 26/12/2022 के सन्दर्भ में मोरंड गंजाल बांध एवं दाबयुक्त सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र आवलिया (सा०) के कक्ष क्रमांक U-705 में से होकर जाने वाली सिंचाई पाइप लाइन सर्वे क्षेत्र रकबा 0.153 हेक्टेयर में आने वाले वृक्षों की गणना व सर्वे निरीक्षण वन विभाग तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर किया गया। पाइप सर्वे क्षेत्र में कक्ष क्रमांक U-705 में कोई वृक्ष नहीं आ रहा है। सर्वे सीमांकन क्षेत्र 0.153 हे. (255 मी. x 6 मी.) क्षेत्र के कोर्डिनेट (जी.पी.एस. रीडिंग) इस प्रकार है — 1) प्रारंभिक बिन्दु 21°58'42.5 (N) 76°53'37.206" (E) 2) अंतिम बिन्दु 21°58'35.036 (N), 76°53'35.4" E

मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष मौके पर लिखा गया पढ़कर सुनाया गया सही पाया बाद पूरे होशोहवास में हस्ताक्षर किये सो सही वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया।

हस्ताक्षर पंचगण

(हस्ताक्षर)
RO आवलिया

(हस्ताक्षर)
शैलेष सिंगल
वनरक्षक
बीट गार्ड पलासपुर

(हस्ताक्षर)
बनवारी लाल थेसारे
कंपनी (NEC)
(J.E)

सीताराम
(सीताराम पि० आसाराम)

लेखराम — (लेखराम पिता मंगल पलासपुर)

नारायण
(नारायण पिता सुखलाल ग्राम पलासपुर)

KHANDWA FOREST DIVISION
[COMPARTMENT MAP]

…LIYA COMP NO.- P 705

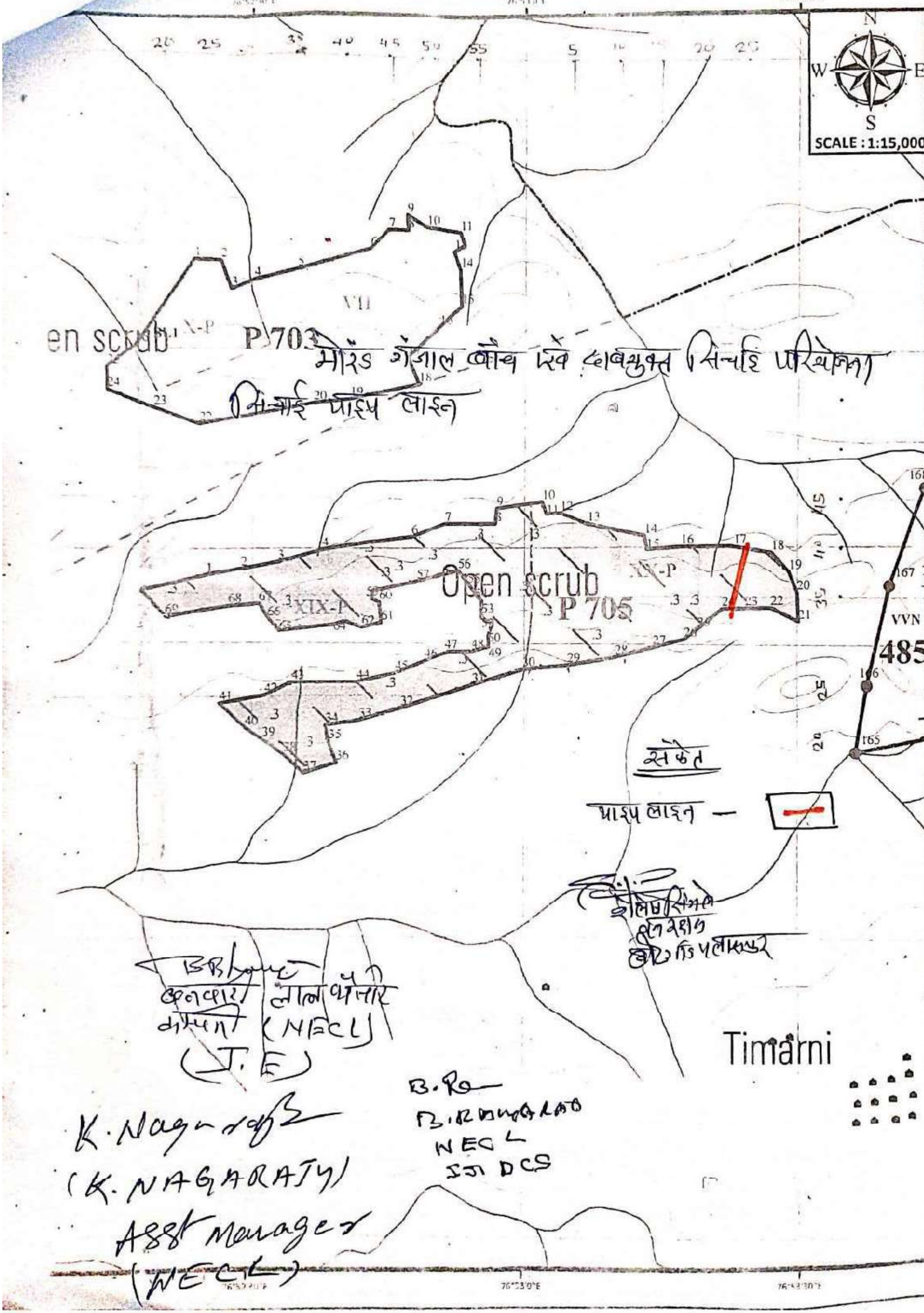

म॰प्र॰ शासन वन विभाग

मौका पंचनामा

हम अधोहस्ताक्षरकर्ता पंचगण सही सही तस्दीक करते हैं ऐसा कि आज दिनांक 16/01/2022 को वनमण्डल खण्डवा (सा॰) के कार्यालयीन पत्र क्र॰ क्रमांक 5634 दिनांक 26/12/2022 के सन्दर्भ में मोरंड गंजाल बांध एवं दावयुक्त सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत वन परिक्षेत्र आवलिया (सा॰) के कक्ष क्रमांक U-706 में से होकर जाने वाली सिंचाई पाइप लाइन सर्वे सीमांकन क्षेत्र रकबा 0.061 हे॰ क्षेत्र में आने वाले वृक्षों की गणना व सर्वे निरीक्षण वन विभाग तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से मौके पर किया गया। कक्ष क्रमांक U-706 मे पाइप लाइन सर्वे का प्रारंभिक बिन्दु GPS N 21°56'36.954" उत्तरी अक्षांश E 76°52'54.700" पूर्वी देशान्तर तथा अंतिम बिन्दु N 21°56'27.553" उत्तरी अक्षांश E 76°52'54.095" पूर्वी देशांतर के मध्य 0.061 हेक्टेयर क्षेत्र में कोई वृक्ष नहीं पाया गया।

मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष मौके पर लिखा गया पढ़कर सुनाया गया, सही पाया बाद पूरे होशोहवास मे हस्ताक्षर किये सो सही।

पंचनामा मेरे द्वारा बनाया गया।

हस्ताक्षर पंचगण

(हस्ताक्षर)
शैलेन्द्र सिंगोले
वनरक्षक
बीट गार्ड पलासपुर

शिवराम
(शिवराम/सुखलाल)

(हस्ताक्षर)
R U आमोदिया

(हस्ताक्षर)
कमलाकांत थौतारे
कम्पनी (NEC)
(J. E)

लेखराम (लेखराम s/o मंगल)

गोपाल (गोपाल s/o रूपलाल)

COMP NO.- P 706

KHANDWA FOREST DIVISION
[COMPARTMENT MAP]

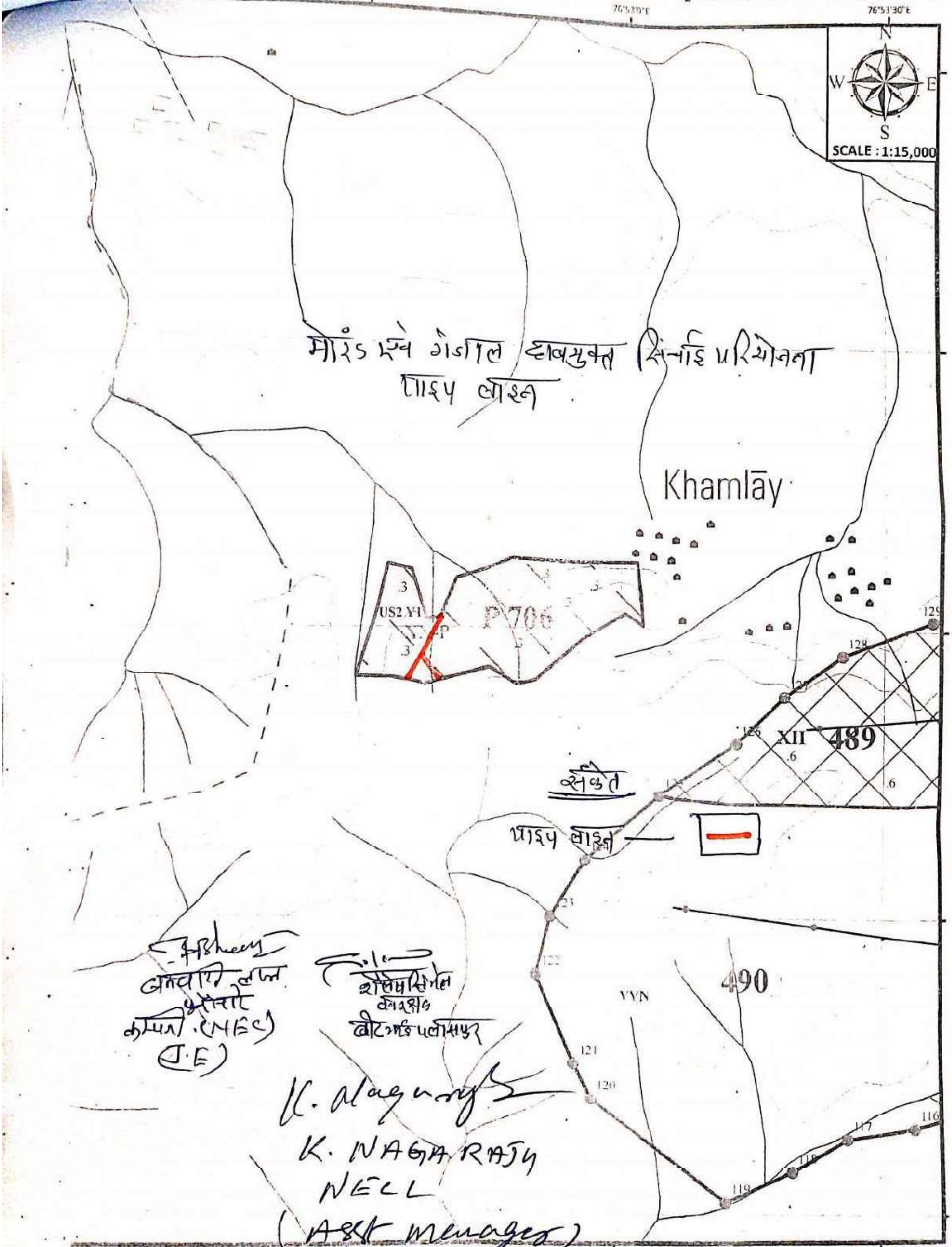

कक्ष - U - 699 मोरघाटी

मौका पंचनामा

=== × ===

हम पंचगण निम्ने हस्ताक्षर करने वाले इस बात कि तस्दीक करते हैं कि आज दिनांक 10/01/2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सिवनी(सा॰), प.स. उत्तर आशापुर, बीटगार्ड- खोकरिया, कापलिन परियोजना मेसर्स गंगाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम के कम्पनी NAC के जूनियर इंजीनियर के हमराह रहकर बीट खोकरिया के कक्ष क्रमांक P-697 शमपुरी का वनमंडल खण्डवा (सा॰) के पत्र क्रमांक /मा॰चि॰/अनलाईन/2022/5634 दिनांक 26/12/2022 के पालन में उक्त कक्ष का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जो सिंचाई परियोजना सर्वे-अनुसार 0.027 हेक्टेयर (266 मी॰×04 चौड़ी) की मौके पर माप-जोख की गई तथा सर्वे किये गये क्षेत्र में कोई भी वृक्ष नहीं पाये गये। मौके कि प्रारंभिक G.P.S. रिडिंग N-21°59"33.792, E-76°45'33.983 तथा अन्तिम G.P.S. रिडिंग N-21°59"25.334, E-76°45'31.797

मौका पंचनामा हम पंचगणों के समक्ष लिखा, पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किये सो सही!

हस्ताक्षर पंचगण

पंचनामा मेरे द्वारा लिपि बद्ध किया गया।

[signature]

जितेन्द्र कुमार [signature]

व.र.

[signature]

कर्मचारी कापलिन परियोजना

[illegible] (NGCL)

(J.E)

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया

[signature] 10/1/23

प.स.उ.

आशापुर

कक्ष स्थान - U-696 डोरखेडी-II

मौका पंचनामा

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/अंगूठा करने वाले इस बात की भली-भाँती तस्दीक करा देते हैं कि आज दिनांक 13/01/2023 को बन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी (सा.), प० स० उत्तर भागपुर, बीटगार्ड अडियापानी, कार्यालय परियोजना मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज किनी मालवा जिला नर्मदापुरम की कम्पनी NECL के जुनियर इंजीनियर के हमराह रहकर बीट अडियापानी के कक्ष क्रमांक U-696 डोरखेडी-II का वनमंडल खण्डवा (सा०) के पालन में उक्त कक्ष का संयुक्त निरीक्षण वनमंडल खण्डवा के पत्र क्रमांक/मा०चि०/आनलाईन/2022/5634 दिनांक 26/12/2022 के पालन मे किया। उक्त कक्ष मे N.P.V. कैम्पा मद से मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2018-19 मे किया गया तथा उक्त कक्ष के वृक्षारोपण क्षैत्र के मध्य से सिंचाई परियोजना सर्वे अनुसार 0.093 हैक्ट. (255 लम्बाई X 6 चौडाई) मी. पायी गई। मौके पर पौधा जो कि वर्ष 2018-19 मे रोपण किया गया उनकी नाप-जोड की गई जो निम्नानुसार है—

क्र	प्रजाति	0-20 cm	21-30	31-45	46-60	61से अधिक	योग	रिमार्क
01	सागौन	276	05	3	2	निरंक	286	
02	मिश्रित (अरकार)	80	16	20	48	निरंक	164	
	योग	356	21	23	50	निरंक	450	

मौके के प्रारम्भिक G.P.S N-22°0'22.065" E-76°43'53.942"
अन्तिम G.P.S. N-22°0'05.886" E-76°43'47.065"

मौका पंचनामा हम पंचो के समक्ष लिखा, पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किये सही हमारा पंचनामा है जो वक्त पर काम आवे।

हस्ताक्षर पंचगण

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

हस्ता.

B.Bhumi ... (हस्ताक्षर)
कम्पनी (NECL)
(J.E)

पंचनामा मेरे समक्ष बीटगार्ड अडियापानी लिखा गया। (हस्ताक्षर) 13/1/23
प्र.म.उ. भागपुर

KHANDWA FOREST DIVISION

[COMPARTMENT MAP]

COMP NO.- P 696

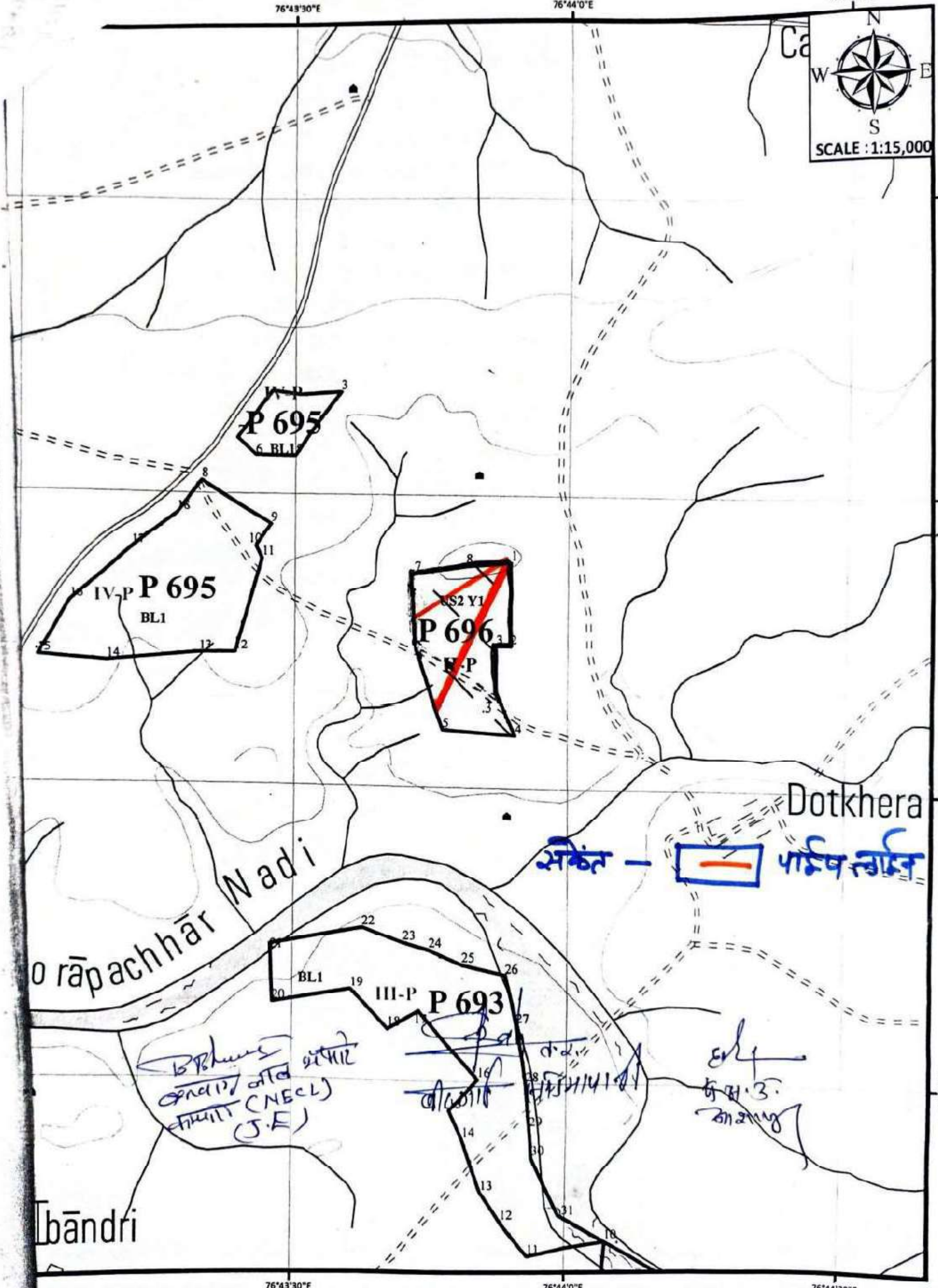

कक्ष - U - 699 मोजवाडी

मौका पंचनामा

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर / अंगूठा करने वाले इस बात की सही सही तसदीक करा देते है कि आज दिनांक 09/01/2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी (सा०), प०स०उत्तर आशापुर, बीटगार्ड माडियापानी, कार्यालय परियोजना मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम के कम्पनी NAC के जूनियर इंजीनियर के हमराह रहकर बीट माडियापानी के कक्ष क्रमांक U-699 मोजवाडी का वनमंडल खण्डवा (सा०) के पत्र क्रमांक / मा०चि० / आनलाईन / 2022 / 5634 दिनांक 26/12/2022 के पालन मे उक्त कक्ष का संयुक्त निरीक्षण किया गया। जो सिंचाई परियोजना सर्वे - अनुसार 0.025 हेक्टयर (417 लम्बाई x 6 चौडाई) की मौके पर माप-जोख की गई तथा सर्वे किये गये क्षेत्र मे कोई भी वृक्ष नही पाये गये। मौके की प्रारम्भिक G.P.S. रिडिंग N - 22°03'35.092", E - 76°46' 12.608" तथा अन्तिम G.P.S. रिडिंग N - 22°03'27.280", E - 76°46'09.287"

मौका पंचनामा हम पंचगणो के समक्ष लिखा, पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर / अंगूठा किया सही हमारा पंचनामा है जो वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

हस्ताक्षर पंचगण

[signature]
बीटगार्ड माडियापानी

1) ____________

[signature]
बनवारीलाल धुर्वे
कम्पनी (NECL)
(J.N)

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया।
[signature] 9/1/23
प.स.उ.
आशापुर

NGE-SINGAJI COMP NO.- U 699

KHANDWA FOREST DIVISION
[COMPARTMENT MAP]

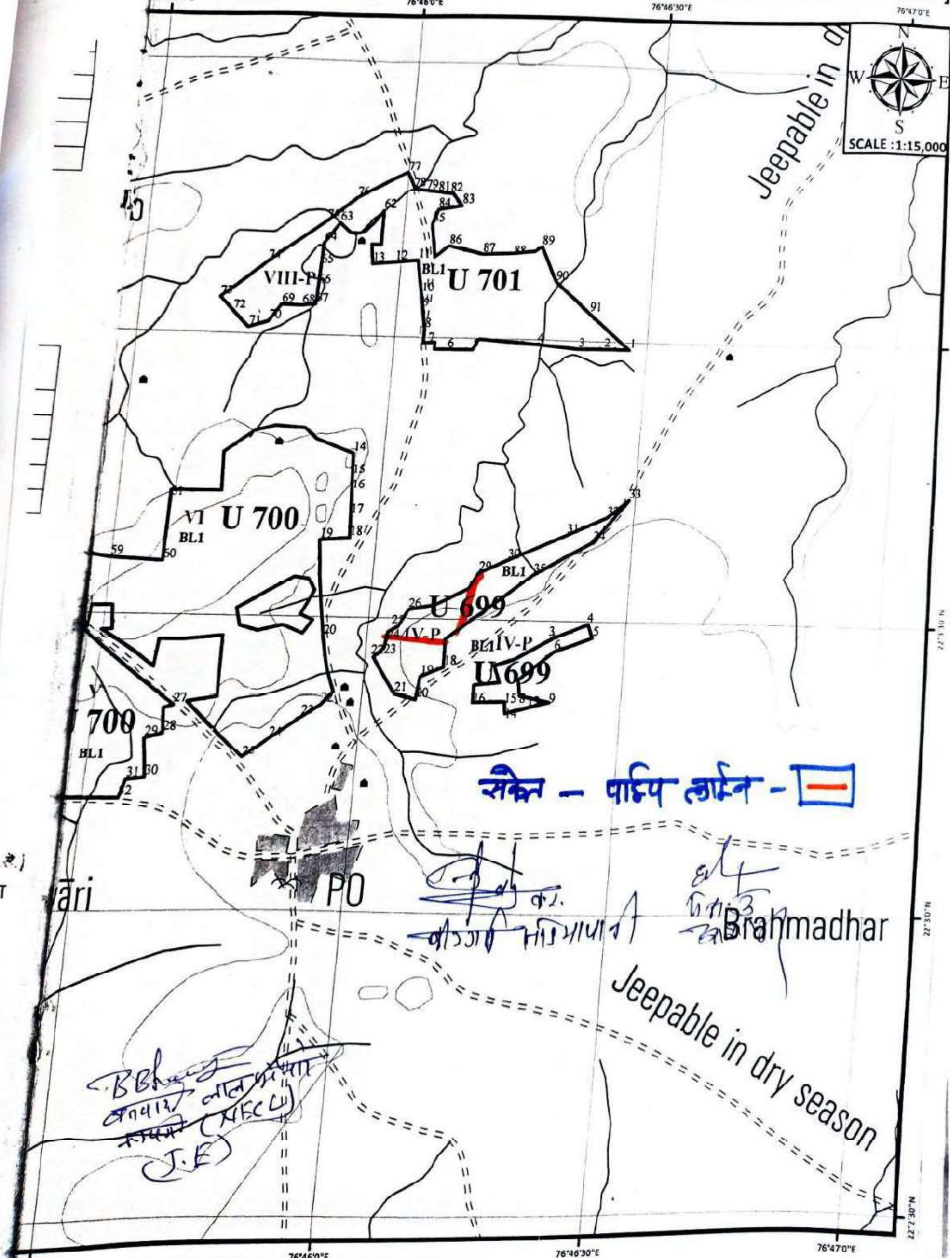

मौका पंचनामा   कक्ष - U - 700 मौजवाड़ी

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर / अंगूठा करने वाले इस बात की सही - सही तस्दीक करा देते है कि आज दिनांक 07/01/2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी (सा०), प०स०उत्तर आशापुर, बीटगार्ड - खड़ियापानी, कार्यालय परियोजना मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम की कम्पनी NEC के जूनियर इंजीनियर के हमराह रहकर बीट खड़ियापानी के कक्ष क्रमांक U- 700 मौजवाड़ी का वनमंडल खण्डवा (सा०) के पत्र क्रमांक /मा०चि०/ आमलाईन/2022 / 5634 दिनांक 26/12/2022 के पालन में उक्त कक्ष का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमे वर्ष 2017-18 में नर्मदा कछार में सागौन वृक्षारोपण किया गया है जिसके अन्दर से सिंचाई परियोजना सर्वे अनुसार 0.092 हेक्टेयर तथा 1.473 हेक्टेयर (1565 लम्बाई X 10 चौड़ाई) की० मौके पर नाप-जोख की गई तथा सर्वे मे सागौन वृक्षारोपण वर्ष 2018 के निम्नलिखित वृक्ष (अकेसिया) पाई गई —

क्र०	प्रजाति	0-20 cm	21-30 cm	31-45 cm	46-60 cm	61 से अधिक cm	योग	रिमार्क
01	सागौन	504	77	2	निरंक	निरंक	583	सागौन वृक्षारोपण
02	(मिश्रित) अरकाट	117	38	30	03	निरंक	188	वर्ष 2017-18 रोपण
		621	115	32	03	—	771	

मौके की प्रारम्भिक G.P.S Reading N-22°03'50.129" E-76°45'48.115"
अन्तिम G.P.S. Reading N-22°03'22.379 E-76° 45' 43.729"

मौका पंचनामा हम पंचो के समक्ष लिखा, पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किये सही हमारा पंचनामा है जो समय पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

हस्ताक्षर पंचगण

(हस्ताक्षर)
कस्तूरी लाल धुर्वे
मानीट (NECL)
(J.E)

(हस्ताक्षर)
वन र.
बीटगार्ड खड़ियापानी

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया
(हस्ताक्षर) 7/1/23
प०स०उ०
आशापुर

KHANDWA FOREST DIVISION

[COMPARTMENT MAP]

NGAJI COMP NO.- U 700

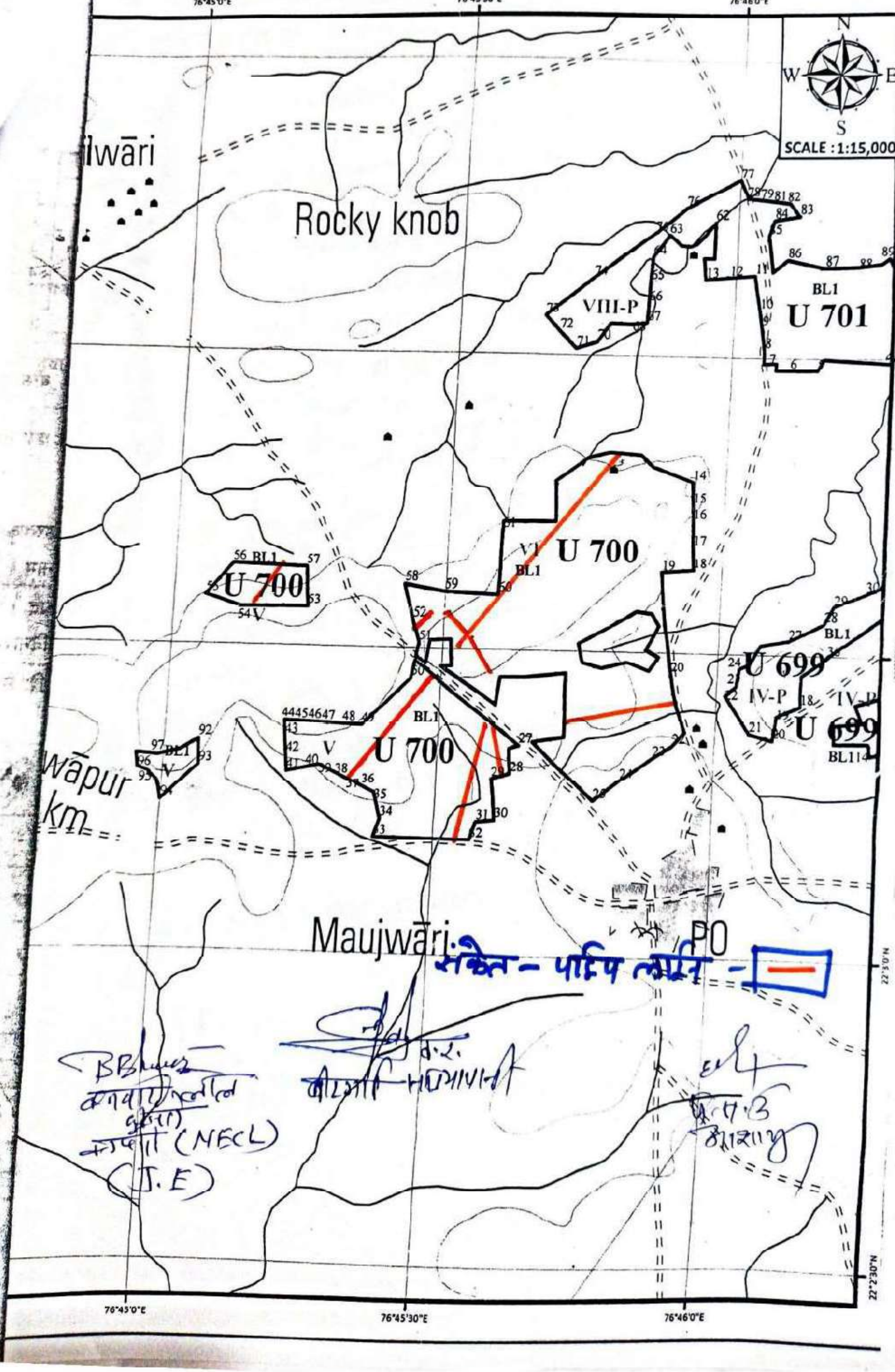

कक्ष – U-701 मोजवाड़ी

मौका पंचनामा

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/अंगूठा करने वाले इस बात की तसदीक करा देते हैं कि आज दिनांक 11/01/2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी (सा.), प.स. उत्तर आशापुर, बीटगार्ड नाडियापानी, कार्यालय परियोजना मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिंचनी मालवा जिला नर्मदापुरम की कम्पनी NEC के प्रतिनिधि इंजीनियर के हमराह रहकर बीट नाडियापानी के कक्ष क्रमांक U-701 मोजवाड़ी का वनमंडल खण्डवा (सा0) के पत्र क्रमांक/मा.चि./अतिक्रमण/2022/5634 दिनांक 26/12/2022 के पालन में उक्त का संयुक्त निरीक्षण किया जो सिंचाई परियोजना सर्वे अनुसार 0.019 हैक्ट. तथा 0.235 हैक्ट. (424 लम्बाई X 6 चौड़ाई) मी. मौके पर नाप-जोख की गई तथा सर्वे किया गया जिसमे कोई वृक्ष नहीं आ रहा केवल (0-20 cm) गोलाई तक की झाड़ियां पाई गई जो निम्नानुसार है – N-22°04' 04.791" E-76°46' 02.869"
N-22°04' 07.212" E-76°46' 18.218"

क्र.	प्रजाति	0-20 cm	21-30 cm	31-45 cm	46-60 cm	61 से अधिक cm	योग
01	सागौन	24	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	24
02	अरकार (मिश्रित)	24	05	03	निरंक	निरंक	32
	योग	48	05	03	—	—	56

मौका पंचनामा हम पंचो के समक्ष लिखा पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर किये सो सही।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया
(हस्ताक्षर) व.र.
बीटगार्ड नाडियापानी

(हस्ताक्षर)
कनवाणी नलिन भैसोटा
कम्पनी (NECL)
(J.E)

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया
(हस्ताक्षर) 11/1/23
प.क्षे.अ.
आशापुर

कक्ष ⇒ U - 702

KHANDWA FOREST DIVISION

[COMPARTMENT MAP]

GAJI COMP NO.- U 701

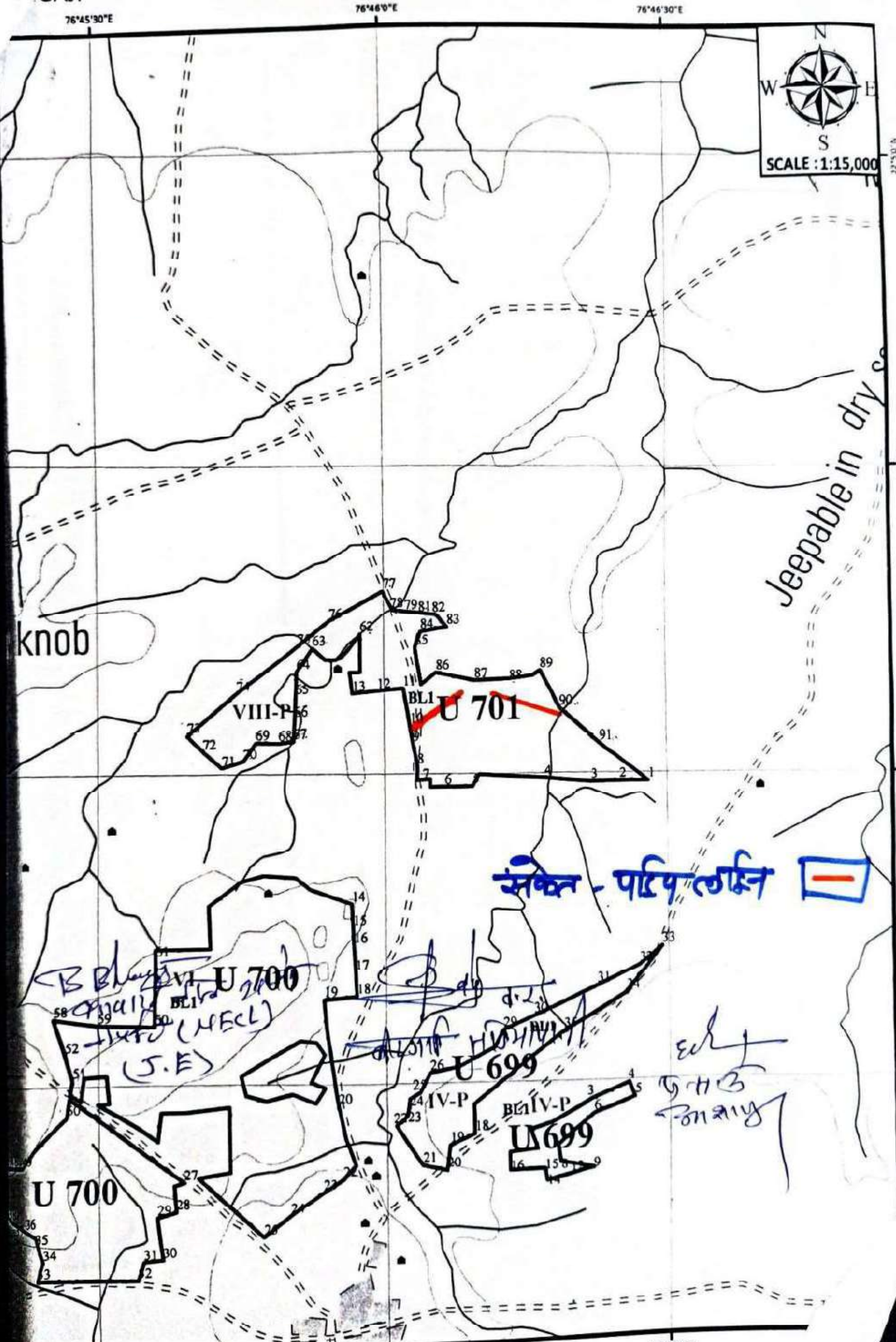

कक्ष ⇒ U-702 बैलवाडी

मौका पंचनामा

हम पंचगण नीचे हस्ताक्षर/अंगूठा करने वाले इस बात की खरी-खरी तसदीक करा देते हैं कि आज दिनांक 12/01/2023 को वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी (सा०), प०स०उ० आशापुर, बीटगार्ड भिड़ियापानी, कार्यालय परियोजना मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम की कम्पनी NECL के इंजियर इंजीनियर के हमराह रहकर बीट भिड़ियापानी के कक्ष क्रमांक U-702 बैलवाडी का वनमंडल खण्डवा (सा०) के पत्र क्रमांक /मा०चि०/आनलाइन/2022/15634 दिनांक 21/12/2022 के पालन में उक्त कक्ष का संयुक्त निरीक्षण किया गया उक्त कक्ष में मिश्रित वृक्षारोपण वर्ष 2014-15 में मिश्रित प्रजाति के पौधा रोपण किया गया था जिसके अन्दर से सिंचाई परियोजना सर्वे अनुसार 0.013 हेक्टर (216 लम्बाई x 6 चौड़ाई) मी० पायी गई। मौके पर पौधा जो कि वर्ष 2014-15 में रोपण किया गया उनकी नाप-जोख की गई जो निम्नानुसार है-

क्र.	प्रजाति	0-20	21-30	31-45	46-60	61 से अधिक	योग	रिमार्क
01	सागौन	143	15	09	निरंक	निरंक	167	
02	मिश्रित (अरकाट)	35	27	24	7	निरंक	93	
	योग	178	42	33	07	—	260	

मौके के प्रारंभिक G.P.S. N-22°04'22.128" E-76°44'26.632"
अंतिम G.P.S N-22°04'22.176" E-76°44'26.624"

मौका पंचनामा हम पंचों के समक्ष लिखा व पढ़कर सुनाया बाद हस्ताक्षर/अंगूठा किया यही हमारा पंचनामा है जो वक्त पर काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिपिबद्ध किया गया

हस्ताक्षर पंचगण

B Bhave
आवारी लाल बोरतार
कम्पनी (NFCL)
(J.E)

पंचनामा मेरे समक्ष लिखा गया
[signature] 12/1/23
व०प०उ०
आशापुर

[signature]
बी.ग. बीटगार्ड भिड़ियापानी

NGAJI COMP NO.- P 702 [COMPARTMENT MAP]

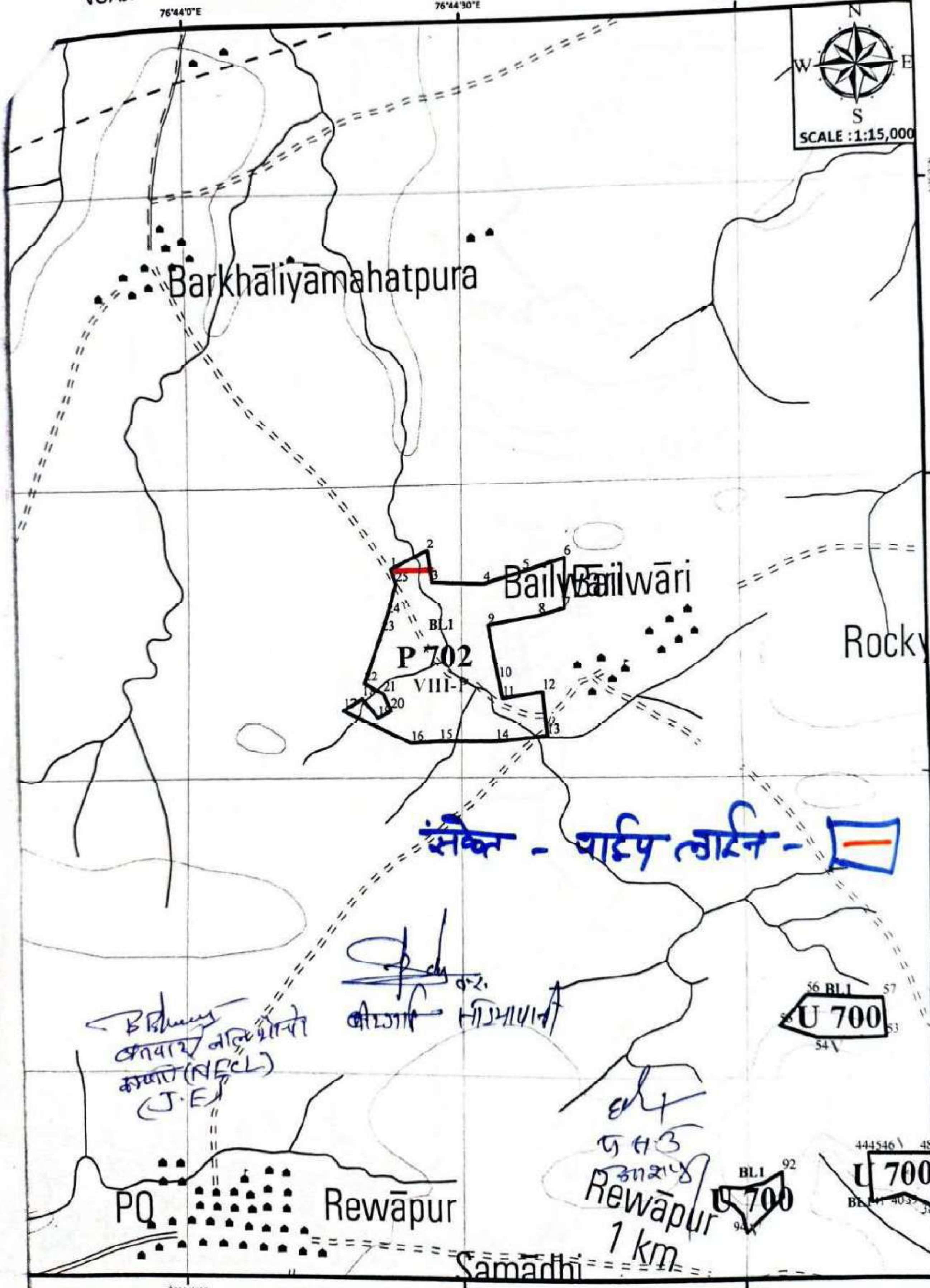

Annexure - 2

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 69 सिवनी मालवा, दिनांक 19/01/24

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
वन भवन, सी ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं. 2, तुलसी नगर,
भोपाल (म.प्र.)

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा, खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु संयुक्त स्थल निरिक्षण की कार्यवाही बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. आपका पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ.-1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023
3.भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है । भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन करने हेतु निर्देशित किया गया है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु .भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, मध्य प्रदेश, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट मुंबई, भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून, उत्तराखंड एवं . वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,.वाशिंगटन, डीसी को लेख किया है।

संयुक्त स्थल निरिक्षण की कार्यवाही सम्पादित होना प्रस्तावित है, अतः समस्त सक्षम अधिकारियो से स्थल निरिक्षण की दिनांक एवं स्थल सम्बंधित कार्यक्रम सुनिश्चित करवाने का कष्ट करे ।

संलग्न – संदर्भित पत्र

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र. 70

प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
2. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
3. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
4. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल होशंगाबाद / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित ।
5. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

कार्या. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
आवक क्र.........
दिनांक.........
भोपाल
23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.......73........................ सिवनी मालवा, दिनांक....19/01/24

प्रति,

वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट,
मुंबई, महाराष्ट्र

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. **1.** अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र......74..........

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र.....71..................................... सिवनी मालवा, दिनांक..19/01/24

प्रति,

भारतीय वन प्रबंधन संस्थान
भोपाल, मध्य प्रदेश,

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत। **(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)**

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र
सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708
ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र....72...........

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र..........67.......................... सिवनी मालवा, दिनांक...19/01/24

प्रति,

वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर,
1250 24वीं स्ट्रीट, एन.डब्ल्यू.वाशिंगटन,
डीसी 20037

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. **1.** अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है। मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है। गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र..........68.......

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/1/24

कार्यालय परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
सिवनी मालवा, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)
फोन नं.:- +917570299010 ई-मेल:- piumorandganjal@gmail.com

पत्र क्र. 65 सिवनी मालवा, दिनांक 19/01/24

प्रति,

भारतीय वन्यजीव संस्थान,
देहरादून, उत्तराखंड

विषय:- जिला नर्मदापुरम, हरदा,खंडवा एवं बैतूल के अंतर्गत मोरंड गंजाल संयुक्त परियोजना के निर्माण में आवेदित 2250.05 हेक्टे. वन भूमि में वन्य प्राणी प्रबंधन योजना हेतु आपका कोटेशन प्रदाय करने बाबत।
(वन प्रस्ताव क्र. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ :-. 1. अपर प्रधान ,मुख्य वन संरक्षक -भू)प्रबंध (भोपाल) म.प्र (.का पत्र क्र. / एफ- 3 /16/2018/10-11/99, दिनांक 04.01.2024

2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म.प्र. का पत्र क्र. /व.त. अ. - 1/GEN.-520/11059,दिनांक 29.12.2023

3. भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र 8-16/2023- FC, दिनांक 20.09.2023

---------00----------

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली ने मोरंड गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हेक्टेयर वनभूमि एवं 1277.694 हेक्ट. गैर वनभूमि के व्यपवर्तन के प्रस्ताव में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने से पूर्व अतिरिक्त (xiv) बिन्दुओ की जानकारी चाही गयी है। भारत सरकार द्वारा परिपत्र के बिंदु क्र. 06 में वन्य प्राणी कोरिडोर के विखंडित होने एवं इसके अन्य विकल्प तथा मिटिगेशन मेजर्स के सम्बन्ध में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक का अभिमत चाहा गया है।

1. मोरंड डेम - मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र 2287.705 हेक्ट. (1438.77 हेक्ट. वन भूमि एवं 848.935 हेक्ट. गैर वन भूमि) का अधिकांश भाग वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम (1215.42 हेक्ट. वन भूमि एवं 775.864 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत तथा आंशिक भाग वनमंडल (सामान्य) उत्तर बैतूल (188.89 हेक्ट. वन भूमि) एवं पश्चिम बैतूल (34.46 हेक्ट. वन भूमि एवं 73.071 हेक्ट. गैर वन भूमि) के अंतर्गत स्थित है । मोरंड डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

2. गंजाल डेम - गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र 1095.456 हेक्ट. (809.09 हेक्ट. वन भूमि एवं 286.366 हेक्ट. गैर वनभूमि) का सम्पूर्ण भाग वन मंडल (सामान्य) हरदा के अंतर्गत है । गंजाल डेम हेतु चयनित क्षेत्र भारत शासन की अनुमति F.No. 1-22/2009-NTCA दिनांक 27.01.2015 से स्वीकृत Tiger Conservation plan के अनुसार सतपुड़ा मेलघाट कोरिडोर के अंतर्गत स्थित है ।

अतः लेख है कि भारत सरकार के उक्त परिपत्र दिनांक 20.09.2023 के बिंदु क्रमांक - 6 के पालन में मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक म.प्र. का अभिमत प्राप्त करने हेतु प्रश्नाधीन क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्यन होना आवश्यक है। वैज्ञानिक अध्यन एवं वांछित Detrimental effects of submergence of forest land का आकलन एवं मिटिगेशन मेजर्स सहित वन्य प्राणी प्रबंधन योजना तैयार करने हेतु आपका कोटेशन एवं समय सीमा की जानकारी सहित प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न – संदर्भित पत्र

सम्पर्क सूत्र - फोन नं.: -+919893708708

ईमेल - khalwamg@gmail.com

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक,
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज,
परियोजना क्रियान्वयन इकाई(पी.आई.यु.)
सिवनी मालवा, दिनांक............

पत्र क्र..........66........

प्रतिलिपि:-

1. अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक (भू- प्रबंध) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
2. मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
3. क्षेत्र संचालक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
4. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय) वृत्त नर्मदापुरम,/ वृत्त बैतूल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
5. वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल नर्मदापुरम / हरदा / उत्तर बैतूल / पश्चिम बैतूल, (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।
6. परियोजना संचालक, परियोजना प्रबंधक इकाई, मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, (पी.एम.यु.) सनावद, जिला खरगोन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(आर.एल.बावरिया)
परियोजना प्रशासक
मोरंड गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यु.)

23/11/24

Government of India
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
(Forest Conservation Division)

Indira Paryavaran Bhawan,
Aliganj, Jor Bag Road,
New Delhi - 110003.

Dated: 16th January, 2023

To

The Addl. Chief Secretaries/Principal Secretaries (Forests),
All States/ Union Territory Administrations.

Sub: Charging of a lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management Plan and lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of Soil and Moisture Conservation Plan for consideration of tree felling permission – reg.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry's guidelines dated 8.06.2022 allowing deposition of 2% of total project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management Plan and/or 0.5% of the project cost towards the cost of implementation of Soil and Moisture Conservation Plan, as the case may be, for the purpose of obtaining Stage-II approval under the FC Act, 1980. Adverting to said guidelines, representation has been been received in the Ministry informing that given the involvement of huge cost in road projects, the 2% and 0.5% cost of Wildlife Management Plan and SMC Plan is too large in comparison to meagre forest area involved in the project and accordingly, the Ministry was requested to revisit the said guidelines guideline.

2. The matter related to charging of a lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of the Wildlife Management Plan and lump sum amount of the project cost towards the cost of implementation of Soil and Moisture Conservation Plan for consideration of tree felling permission, was considered by the Forest Advisory Committee (FAC) in its meeting held on 09.12.2022. The detailed minutes of the FAC meeting held on 09.12.2022 is placed on the website of this Ministry: *www.parivesh.nic.in*.

3. Based on the recommendations of the Advisory Committee, and approval of the same by the competent authority of the MoEF&CC, New Delhi, the following is clarified:

i. In respect of linear projects, the stipulated norms of 2% and 0.5% towards the cost of Wildlife Management Plan and Soil and Moisture Conservation Plan, as provided in the Ministry's guidelines dated 8.06.2022, will be proportionate to the extent of forest land involved instead of total project cost or actual cost of implementation of such Plans, whichever is more, should be charged from the user agency

ii. The provisions of Wildlife Management Plan or Soil Moisture Conservation Plan shall be approved by the competent authority in the State and accordingly, the deficit amount, if any, from the money already realized from to the tune of 2% and/or 0.5% of project cost proportionate to the extent of

forest land involved, shall be paid by the user agency, and the same shall be deposited in to the CAMPA account.

iii. The State Government shall ensure that details of the finalized WLMP, SMC Plan and disposition of monies, payment of deficit amount, etc. shall be approved by the competent authority and concurred by the concerned IRO of the Ministry within a period of one year from the date of deposit of the said amount.

iv. The Guidelines dated 8.06.2022 stands modified to the extent as indicated above in respect of linear projects.

This issue with the approval of Competent Authority of the Ministry.

Yours faithfully
Sd/-
(Charan Jeet Singh)
Scientist 'D'

Copy to:

1. The PCCF, All States/ Union Territories Administration.
2. The Regional Officer, All Integrated Regional Office of MoEF&CC
3. The Nodal Officer, O/o the PCCF, All States/ Union Territories Administration.
4. Monitoring Cell of FC Division, MoEF&CC, New Delhi
5. Guard file.

भारत सरकार | Government of India

English

परिवेश PARIVESH

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change

LiFE

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Back

View Proposal View Documents

Proposal Details

Proposal No.:

WL/MP/IRRIG/452403/2023

Single Window No.:

SW/151552/2023

Project Name:

Morand-Ganjal Irrigation Project

Project Category:

Irrigation

State:

MADHYA PRADESH

Application For:

Part-I & Part-II (Seeking recommendation of Standing Committee of NBWL/ SBWL)

Date of Submission:

17/11/2023

Payment details :

NA

Final Approval:

In-Progress

Proposal History/Timeline

Project Proponent 17/11/2023-17/11/2023

Application Form **17/11/2023**

CHAPTER-9

IRRIGATION AND HYDRO-ELECTRIC PROJECTS, INCLUDING CATCHMENT AREA TREATMENT (CAT) PLAN

9.1. Proposals for diversion of forest lands falling within an irrigation / hydroelectric project need to be processed in their entirety to avoid creation of *fait accompli* situations. However, keeping in view the long gestation period for such projects, user agency may split such projects into different phases for valid and cogent reasons. State Govt. while submitting proposals to obtain "in principle" approval of Central Government under the Act for diversion of the entire forest land required for the project, may intimate the extent of forest land required and time schedule for execution of its each phase as may be specified by them, and may request the Central Government to consider grant of 'final' approval under the Act in phased manner. In such cases, at the time of submission of the proposal, scheme for compensatory afforestation for the forest land required for execution of initial phases, consisting of *inter-alia* the dam, reservoir and main canals originating from the reservoir as indicated by the State Government may only insisted upon. The Regional Empowered Committee while examining such proposals shall stipulate time schedule for transfer and mutation of non-forest land and funds for creation of Compensatory Afforestation in lieu of the forest land required for execution of remaining phases in favour of the State Forest Department so as to ensure that expenditure incurred on initial phases of the project does not become infructuous.

9.2. Catchment Area Treatment (CAT) plans: A proposal for diversion of forest land for Irrigation/Hydro-electric projects shall invariably be accompanied by detailed CAT plan except in respect of small hydel projects (maximum up to 10 MW capacity), which are either canal head or run-of the river projects and do not involve impounding of water/submergence of forest land.

The CAT Plan is an important and essential plan for enhancing and maintaining the ecological health of the catchment area of the proposed irrigation/hydroelectric project through site-specific biological and engineering measures for conservation of soil & moisture and management of water regime. Among other provisions, the measures should focus on arresting soil erosion, improving effective drainage in the area, and rejuvenation of the degraded eco system in the catchment. Following general principals should be kept in view while formulating CAT plans.

(i) In the dense forest areas major concentration should be on soil & water conservation including water harvesting for which various water harvesting structures like check dams, gully plugging, gabion dams, contour trenches and vegetative structures should be made.

(ii) In the open forest areas besides taking up soil & water conservation measures, plantation of local indigenous tree and shrub species, including rare medicinal plants, should be done. In higher altitudes plantation of chir pine should be avoided.

(iii) The CAT plan should include a component of fodder development on the civil soyam forest or on revenue/private lands in order to meet the requirement of fodder/small timber/fire wood for the local population with a view to reduce pressure on the forests.

Rights) Act, 2006 (2 of 2007), shall issue order for diversion, assignment of lease or dereservation, as the case may be.

(8) The final order of dereservation under clause (i) of sub-section (1) of section 2 of the Adhiniyam, wherever accorded, shall be published in the official Gazette by the State Government or Union territory Administration, as the case may be, informing dereservation of the forest land;

(9) The whole process of obtaining approval shall be carried out in the online portal developed for this purpose.

(10) Where compliance of condition imposed in the 'In-principle' approval is awaited from the State Government or Union territory Administration, as the case may be, for more than two years, the 'In-Principle' approval shall be deemed to be null and void:

Provided the Central Government may, for the reasons to be recorded in writing, in respect of proposals involving forest land of more than thousand hectares, where 'In-Principle' approval has been obtained, may consider grant of phase-wise 'Final' approval by the competent authority subject to compliance in respect of-

(a) payment of compensatory levies and notification of land identified and accepted for raising Compensatory Afforestation, proportional to the part area for which compliance is submitted; and

(b) any other specific condition that the Central Government may deem fit to have been complied with.

(11) After issue of final approval under sub- rule (7) and Gazette notification under sub-rule (8) the forest land concerned may be handed over or assigned, as the case may be, to the user agency by the State Government or Union territory Administration.

(12) The Regional Office shall monitor the compliance of all conditions imposed at the time of granting 'In-Principle' approval and the State Government or Union territory Administration and the user agency shall also monitor, at least once every year, the compliance of conditions imposed during 'In-Principle' approval and upload the monitoring report in the online portal.

(13) The entire process for processing the proposals by the various authorities in the State shall be completed within the time limit specified in **Schedule-I** appended to these rules.

12. Proposal seeking prior approval of Central Government for working plan.-

(1) The Nodal Officer of the State Government or Union territory Administration shall submit the draft Working Plan of a Forest Division, duly prepared in accordance with the provisions of the National Working Plan Code, along with the recommendation of the State Consultative Committee, in the online portal for prior approval of the Central Government.

(2) The draft Working Plan shall include, *inter alia*, details of forest land diverted, corresponding Compensatory Afforestation lands and status of afforestation thereon.

(3) the draft Working Plan submitted to the Central Government shall be examined by the Regional Office concerned for its conformity with National Working Plan Code, the National Forest Policy and with preamble of Adiniyam for conservation and augmentation of forests and the Regional Office may accord prior approval to the draft Working Plan along with conditions or without conditions or accord approval along with modification

कार्यालय परियोजना प्रशासक मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

Telephone no. 07570299010 **Email ID – piumorandganjal@gmail.com**

पत्र क्रमांक ....1419...... सिवनी मालवा, दिनांक 22/11/2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
भू–प्रबन्ध
भोपाल

विषय :– मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/IRRIG/36231/2018** को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्रदान करने बाबत्।

संदर्भ :– भारत सरकार, पर्यावरण और वन मंत्रालय (एफसी डिवीजन) **F. No. 10-125/2013-FC (pt.-III)** दिनांक **25** फरवरी, **2014** में वर्णित दिशा निर्देशानुसार।

—00—

*संदर्भित पत्र के माध्यम से "भारत सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर–वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए दिशा–निर्देश – सिंचाई परियोजनाओं के लिए वन भूमि के विपथन के प्रस्तावों को विभिन्न चरणों में विभाजित कर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के सैद्धांतिक (चरण–1) अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय अधिनियम के तहत परियोजना के लिए आवश्यक संपूर्ण वन भूमि के विचलन के लिए, आवश्यक वन भूमि की सीमा और इसके प्रत्येक चरण के निष्पादन के लिए समय–सारणी की सूचना दे सकता है, और केन्द्र सरकार से अंतिम (चरण–2) के अनुदान पर विचार करने का अनुरोध कर सकता है, के प्रावधान को पैराग्राफ 2.2(**iii**) में सम्मलित किया गया।"*

विषयांकित परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में वनमण्डल हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल (उत्तर), बैतूल (पश्चिम) एवं खंडवा वनमण्डल की कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.189 हेक्ट. गैर वन भूमि क्रमशः सागर जिले की – 1575.44 हेक्ट., बैतूल जिले की 386.469 हेक्ट., आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं जबलपुर की 170.00 हेक्ट. की गैर वनभूमि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को उपलब्ध कराई गई है। क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की योजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने की कार्यवाही सभी संबंधित वन विभाग कार्यालय द्वारा प्रचलित है।

परियोजना निर्माण कार्य चार वर्ष में होना संभावित है जिसमें वनभूमि की आवश्यकता चार चरण में प्रस्तावित की जाती है:–

प्रथम चरण में आवागमन मार्ग, विद्युत संचारण लाईन, बॉध निर्माण, खदान एवं मुख्य नहर के घटक में आवेदित भूमि कुल **138.27 हेक्ट.** वनभूमि की आवश्यकता **2022–23** में होगी इसके लिए प्रतिपूरक गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जिला जबलपुर की 138.27 हेक्ट. गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

द्वितीय चरण (FRL-4) हेतु 1135.57 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता **2024–25** में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु जबलपुर जिले की शेष 31.73 हेक्ट.,आगर मालवा की 275.28 हेक्ट. एवं सागर जिले की 828.56 हेक्ट की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

तृतीय चरण (FRL-4) हेतु 616.748 हेक्ट. वनभूमि की आवश्यकता **2025–26** में होगी, इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 616.748 हेक्ट. की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

चतुर्थ चरण (FRL) हेतु 381.462 हेक्ट. की आवश्यकता **2025–26** में होगी इसके समतुल्य गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु सागर जिले की शेष 130.132 हेक्ट. एवं बैतूल जिले की *251.33 हेक्ट.,* की गैर वनभूमि प्रस्तावित है।

परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि 2272.05 हेक्ट. के प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. जो कि संबंधित जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आवांटित की गई लें

परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना निर्माण हेतु भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास योजना को अनुमोदन प्राप्त है।

परियोजना निर्माण हेतु वनाधिकार कानून 2006 अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 संबंधित जिलाधीश द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

अतः निवेदन है कि मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक **FP/MP/IRRIG/36231/2018** को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव को भारत सरकार को राज्य सरकार द्वारा प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि प्रथम चरण निर्माण कार्य हेतु प्रस्तावित *138.27* हेक्ट. वनभूमि पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा सके जिसके लिए प्रतिपूरक भूमि वनीकरण हेतु *जिला* –जबलपुर की 138.27 हेक्ट. की गैर वनभूमि जिलाधीश द्वारा वन विभाग को आबांटित की गई है।

संलग्न :– 01. पत्रक
02. संदर्भित पत्र

परियोजना प्रशासक
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना **क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)**
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

पृ. *क्रमांक* .... सिवनी मालवा, दिनांक / /2022

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता / परियोजना संचालक , परियोजना प्रबंधक ईकाई, मोरण्ड–गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज (पी.एम.यू.) सनावद जिला–खरगोन (म.प्र)

परियोजना **प्रशासक**
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

संलग्न :– 01 पत्रक

मोरण्ड, गंजाल बांध एवं दाब युक्त सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि व्यपवर्तित प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/IRRIG/36231/2018 को चरणबद्ध तरीके से स्वीकृती हेतु

पत्रक

क्रमांक	प्रस्तावित चरण	परियोजना निर्माण घटक	प्रस्तावित वनभूमि	निर्माण वर्ष	वनमण्डल	प्रस्तावित जिले वार क्षतिपूर्ति गैर वनभूमि
1	प्रथम	बॉध निर्माण, मुख्य नहर, विद्युत संचारण लाईन, खदान, आवागमन मार्ग,	138.27 हेक्ट.	2022–23	हरदा , नर्मदापुरम, खंडवा	जबलपुर – 138.27 हेक्ट.
2	द्वितीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	1135.57 हेक्ट.	2024–25	नर्मदापुरम, बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	जबलपुर –31.73 हेक्ट आगर मालवा–275.28 हेक्ट., सागर 828.56 हेक्ट.
3	तृतीय	डूब क्षेत्र (FRL-4)	616.748 हेक्ट	2025–26	हरदा	सागर 616.748 हेक्ट.
4	चर्तुथ	डूब क्षेत्र (FRL)	381.462 हेक्ट.	2025–26	हरदा , नर्मदापुरम बैतूल (उ.), बैतूल (प.)	सागर 130.132 हेक्ट. बैतूल 251.33 हेक्ट.
		कुल योग	2272.05 हेक्ट.			2272.05 हेक्ट.

** परियोजना हेतु वनभूमि व्यपवर्तन के प्रस्ताव में कुल 2272.05 हेक्ट भूमि प्रस्तावित है एवं परियोजना में व्यपवर्तित वनभूमि के एवज में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु कुल 2407.89 हेक्ट. गैर वन भूमि उपलब्ध है जिसमे से 135.139 हेक्ट गैर वन भूमि अतिरिक्त समायोजन हेतु उपलब्ध है।

परियोजना प्रशासक
मोरण्ड –गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)
सिवनी मालवा जिला होशंगाबाद (म.प्र)

Morand Ganjal Dams & Pressurised Pipe Irrigation Project

CA land Allotted by District Collector 2289.209 ha.

S No.	Division	Allotted by District Collector (In Ha.)	CA Scheme prepared (In Ha.)	Collector Order No.
1	Jabalpur	170	170	150/अ.भू.अ./2019, Dated 18/02/2019
2	Agar Malwa	275.28	212.420	0028/अ-20(3)/2021-22, Dated 21/09/2021 0029/अ-20(3)/2021-22, Dated 21/09/2021 0030/अ-20(3)/2021-22, Dated 21/09/2021 0031/अ-20(3)/2021-22, Dated 21/09/2021
3	Sagar	1457.46	463.28	2849 / री.कले/16, Dated 14/07/2016 25 अ/19(3)वर्ष 17-18, Dated 18/09/2018
4	Betul	386.469	0	एल.आर.2 /भू. अभ. 2018/1707, Dated 25/09/2018
	Total	**2289.209**	**845.7**	

**** As per Forest clearance Total Requirement is 2250.05 ha.**

परिशिष्ट-6

<u>कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001</u>

आदेश

क्रमांक/व्यय0/ 67 जबलपुर दिनांक 9/10/2023

जिला होशंगाबाद,बैतूल,हरदा एंव खंडवा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे0 वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–3/16/2018/10–11/4302 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा 17,00,000 पौधों को रोपित करने की 11 वर्षीय क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तयार करने के निर्देश के फलस्वरूप वनमण्डलाधिकारी, सा0 वनमण्डल, जबलपुर के पत्र क्र0/मा0चि0/1345 दिनांक 03.10.2023 से प्राप्त पुनरीक्षित 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्राकलन का परीक्षण उपरांत एंव व0 म0 अ0 जबलपुर द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0/1194/191/ 2022/नियम/4/दिनांक 14.07.2022 के माध्यम से म0प्र0 बुक आफ फायनेंसियल पावर्स 1995 के भाग–2 के अंतर्गत अनुक्रमांक 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :–

योजना का नाम	परिक्षेत्र	बीट	कक्ष क्र0	रकवा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रूपये में)
मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण	कुण्डम	ददरगवां	RF 340	40.00	2025–2026 से 2035–36 तक	2,18,56,417.00
		ददरगवां	RF 340	30.00		1,62,16,700.00
		बारतौरी	O-587, RF-296	40.00		2,19,23,761.00
		डबरा	RF-311	25.00		1,44,50,336.00
		बधराजी	O-593	35.00		2,03,39,046.00
			योग	170.00		9,47,86,260.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :–

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये हैं । यदि प्रस्तावों में कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराऐं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेगें, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावें ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेगें ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेगें। उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Email 12.22 PM
09-10-23

पृ0क्रमांक/मा0चि0/ 6713

जबलपुर, दिनांक 9 /10/2023

प्रतिलिपि :— 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (भू–प्रबंध) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

3. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जबलपुर की ओर उनके पत्र क्र0 /मा0चि0 /1345 दिनांक 03.10.2023 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक,
मध्यवृत्त जबलपुर

मध्यप्रदेश शासन वन विभाग
कार्यालय वन संरक्षक, उज्जैन वृत्त उज्जैन (म.प्र.)
उद्‌यन मार्ग, दमदमा, उज्जैन (म.प्र.)–456010

Ph. (0734) 2512101
E-Mail : ccf.ujn@mp.gov.in
Fax (0734) 2512102

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707 उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश भोपाल

विषयः– जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबद। (ऑनलाईन प्रकरण क्रं./FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भः– आपका पत्र क्रं./एफ–3/16/2018/10–11/255 दिनांक 12–01–2024 ।

विषयांतर्गत निवेदन है कि, संदर्भित पत्र के पालन मे वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार विषयांकित परियोजना अन्तर्गत न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरडा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधौपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190,192,193,199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151,158,160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34,35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		**212.420**		**212.420**	**97.380**	**152000**	**93441047**

उपरोक्तानुसार 212.42 हे. गैर वनभूमि मे स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधो का रोपण प्रस्तावित है। शेष 60420 पौधो के रोपण हेतु अन्य बिगड़े वनक्षेत्र मे निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी–13	30.00	15000	11400876
2		बाजना	पी–22	25.00	12000	9597039
3		महुडिया	पी–14	36.00	33420	15983295
			योग :–	**91.00**	**60420**	**36981210**

वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उपरोक्तानुसार गैर वनभूमि एवं बिगड़े वनक्षेत्र हेतु प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं का तकनीकी अनुमोदन किया जाकर योजनाओं की प्रति सहित आवश्यक आगामी हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

क्रमांक/तकनीकी/2024/ 708

उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

प्रतिलिपि :– वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं. 420 दिनांक 29–01–2024 के संदर्भ मे तकनीकी अनुमोदन की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: आदेश ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/13 उज्जैन, दिनांक 08-02-2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क्र./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरडा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधौपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190,192,193,199, 213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151,158,160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34,35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		212.420		212.420	97.380	152000	93441047

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्ड़लाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।

6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्ड़लाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक 558 दिनांक 10.06.2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707 A   उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

आदेश द्वारा एम.आर. बघेल (भा.व.से.) वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन

:: **आदेश** ::

आदेश क्रमांक/तकनीकी/2024/ 14 उज्जैन, दिनांक 08.02.2024

प्रकरण अन्तर्गत वनमण्डलाधिकारी शाजापुर द्वारा उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 से प्रेषित प्रस्ताव अनुसार जिला होशंगाबाद, बैतूल, हरदा एवं खण्डवा के अन्तर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु 2250.05 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के प्रकरण मे न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा निम्नानुसार आदेशो से 275.28 हे. गैर वनभूमि (ग्राम गरड़ा की 93.38 हे., ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे., ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हे. एवं ग्राम डोंगरगांव की 33.98 हे.) वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

1. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/358 दिनांक 21.09.2021
2. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/359 दिनांक 21.09.2021
3. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/360 दिनांक 21.09.2021
4. न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क्रं. 0029/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क./रीडर/2021/361 दिनांक 21.09.2021

उपरोक्तानुसार आवंटित गैर वनभूमि 275.28 हे. मे से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हे. गैर वनभूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है एवं 212.42 हे. गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं मे स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधो का रोपण प्रस्तावित किया गया है। शेष 60420 पौधो के रोपण हेतु अन्य बिगड़े वनक्षेत्र मे निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित की है।

क.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी–13	30.00	15000	11400876
2		बाजना	पी–22	25.00	12000	9597039
3		महुडिया	पी–14	36.00	33420	15983295
			योग :–	**91.00**	**60420**	**36981210**

वनमण्डलाधिकारी, (सा.) वनमण्ड़ल शाजापुर द्वारा उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रं. 4050 दिनांक 30–12–2019 से प्रेषित मॉडल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अनुसार निर्धारित प्रारुप पर तैयार कर प्रस्तुत की है। अतः म.प्र. बुक ऑफ फायनेंशनल पॉवर 2022 वॉल्यूम-2 में वन विभाग को प्रदत्त अधिकार के बिंदु क्रमांक 20 में निहित एवं प्रदत्त वित्तीय अधिकारों का उपयोग करते हुए वनमण्ड़लाधिकारी शाजापुर द्वारा प्रेषित उपरोक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाओं की Provisional तकनीकी स्वीकृती निम्न शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है :–

1) समस्त कार्य स्वीकृत जॉब दरो निर्धारित नार्म्स एवं बजट प्रावधानो के अन्तर्गत ही कराये जावे। यदि किसी कार्य की जॉब दर स्वीकृत न हो तो, स्वीकृती हेतु दर प्रस्तुत की जावे।
2) कार्य की गुणवत्ता उत्तम हों।
3) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु म.प्र. शासन वन विभाग के ज्ञाप क्र./डी./3202/3827/2001/10/3 दिनांक 7 दिसंबर 2001 एवं क्रमांक–एफ–03-11/2018 /10-2 दिनांक 14 मई 2019 से प्रसारित दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित करें।
4) क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना हेतु मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र./572 दिनांक 07-02-2002 एवं 79 दिनांक 08-01-2018 में निहित निर्देशों की कडाई से पालना की जावें।
5) सामग्री क्रय करते समय म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन अधिनियम 2015 की धारा 7, 9, 10 एवं 11 के भण्ड़ार नियमो का पालन अनिवार्य रूप से किया जावे। भण्डार क्रय नियमो के अन्तर्गत अनुसूची 'अ' मे सम्मिलित सामग्री म.प्र. लघु उद्योग निगम अथवा भारत सरकार के गर्वमेंट ई–मार्केट पोर्टल से ही क्रय की जावे। जो सामग्री राशि रू. 2.50 लाख के अन्दर तक की कोटेशन द्वारा प्राप्त की जानी है, उसे क्रय समिति से परीक्षण कराया जावे तथा अनुमोदन वनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावे।
6) फेसिंग पोल/जाली/तार/लोहा/स्टील एवं अन्य सभी क्रय सामग्रियों का सत्यापन उपवनमण्ड़लाधिकारी द्वारा किया जावेगा। क्रय तथा उपयोग की सामग्री स्टोर पंजी में स्टोर प्रभारी द्वारा अनिवार्यतः इंद्राज की जावेगी, जिसकी पुष्टि वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

7) प्रस्तावित कार्य का वनमण्ड़लाधिकारी/उपवनमण्ड़लाधिकारी/वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि में न्यूनतम 25% वनमण्ड़लाधिकारी, 50% उपवनमण्ड़लाधिकारी एवं वन परिक्षेत्राधिकारी द्वारा 100% स्थल निरीक्षण अनिवार्य किया जावेगा।

8) वनमण्ड़लाधिकारी यह सुनिश्चित करे कि, कार्य आयोजना में निहित प्रावधानों के विपरीत कोई कार्य न हो। यदि विचलन की आवश्यकता हो तो तदनुसार प्रस्ताव तैयार कर इस कार्यालय को भेजे तथा स्वीकृती उपरांत ही कार्य कराये जावे।

9) शासन तथा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक, आर्थिक तथा तकनीकी निर्देशों के पालन की जवाबदारी वनमण्ड़लाधिकारी की रहेगी।

10) मौके पर कार्य करने वाले कर्मचारी के पास स्वीकृती की प्रति, माप पुस्तिका, प्रस्तावित माप डिजाईनिंग एवं मानचित्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

11) वनमण्डलाधिकारी सुनिश्चित करे, कि पूर्व में प्रस्तावित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य तो नही कराया गया है। स्वीकृत क्षेत्र का स्थल परिवर्तन मान्य नही होगा। यदि कोई स्थल कार्य योग्य नही है तो उस स्थल पर कार्य नही कराया जाकर स्वीकृत राशि समर्पित कर अवगत कराया जावे।

12) स्वीकृत कार्य समाप्ति उपरांत, स्वीकृति अनुसार किये गये कार्यो का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र मे इस कार्यालय को भेजा जावे।

13) मुख्यतः कार्य मजदूरो से कराया जावे, अत्यंत आवश्यक होने पर मजदूरो की उपलब्धता न होने पर ही यांत्रिकी साधन से कार्य कराया जावे।

14) स्थल पर रोपण होने पर मानक आकार के पौधे लगाये जावे।

15) रोपण मूल्यांकन हेतु प्रधान मुख्य वन संरक्षक, म.प्र. भोपाल के पत्र क्रं. 3410 एवं दिनांक 13–11–2013 के आधार पर रिकॉर्ड रखा जावे एवं वृक्षारोपण पंजी मे चस्पा किया जावे।

16) माप पुस्तिका पर कराये गए कार्यो की प्रविष्टि उपरांत वन परिक्षेत्राधिकारी, उपवनमण्ड़लाधिकारी के हस्ताक्षर लिये जावे।

17) किये गये कार्यो की प्रविष्टि कक्ष इतिहास, ई–ग्रीन वॉच पोर्टल, Plantation Monitoring System एवं MIS Portal मे समय–समय पर की जावे।

18) वनमण्ड़लाधिकारी प्रतिकरात्मक वन रोपण निधि नियम 2018 (CAF Rules 2018) के निर्देशो का पालन सुनिश्चित करेगें।

19) स्वीकृत राशि व्यय की अधिकतम सीमा है। परियोजना स्थल पर व्यय मितव्ययता रखते हुए कार्य किये जावे।

20) श्रमिकों को श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित देय न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जावे।

21) क्षेत्र घेराव हेतु फैंसिंग पर Green Hedge अनिवार्य रूप से तैयार किये जावे।

22) योजना मे रोपित किये जाने वाले पौधो का जीवितता प्रतिशत 75 प्रतिशत से अधिक होना अनिवार्य है।

23) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म.प्र. भोपाल के पत्र कमांक 558 दिनांक 10.06. 2020 द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन सुनिशचित करें।

24) परियोजना मे आवेदक संस्था से पर्यवेक्षण शुल्क की राशि नियमानुसार पृथक से ली जाना सुनिश्चित करे।

25) उपरोक्त प्राक्कलन Provisional तकनीकी स्वीकृती प्रदान की गई है। कार्य समाप्त होनें के उपरांत मौके पर वास्तव में कराये गए कार्य अनुसार तकनीकी प्राक्कलन आपके द्वारा प्रस्तुत किये जानें पर अंतिम रुप से तकनीकी स्वीकृती दी जावेगी।

(एम.आर. बघेल)
भा.व.से.
वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

पृष्ठांकन क्रमांक/तकनीकी/2024/ 707B उज्जैन, दिनांक 08/02/2024

(1) महालेखाकार (ऑडिट) ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(2) वनमण्ड़लाधिकारी (सा.) वनमण्डल शाजापुर की ओर उनके पत्र क्रं./माचि/2024/420 दिनांक 29–01–2024 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

वन संरक्षक
उज्जैन वृत उज्जैन

F:\data\D\I\Ashu's Documents\DM111\2010\2024\TS 2024\SHAJAPUR\CA\CA ORDER.doc

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल शाजापुर (म.प्र.)

पता : टेलीफोन टॉवर के पास ए.बी. रोड शाजापुर (म.प्र.) पिन 465001
ई–मेल : dfotsjpur@mp.gov.in,

क्रमांक / माचि / 2024 / 420 शाजापुर, दिनांक 23/1/24

प्रति,

वनसंरक्षक
उज्जैन वृत्त उज्जैन

विषय– जिला होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनमण्डल होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल एवं हरदा की 2371.14 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत्। (ऑनलाईन प्रकरण क. FP/MP/IRRIG/36231/2018)

संदर्भ–1.न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029 / अ–20(3) / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क. / रीडर / 2021 / 358 दिनांक 21.09.2021
2.न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029 / अ–20(3) / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क. / रीडर / 2021 / 359 दिनांक 21.09.2021
3.न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029 / अ–20(3) / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क. / रीडर / 2021 / 360 दिनांक 21.09.2021
4.न्यायालय कलेक्टर जिला आगर–मालवा म.प्र. का प्रकरण क. 0029 / अ–20(3) / 2021–22 दिनांक 21.09.2021 पृ.क. / रीडर / 2021 / 361 दिनांक 21.09.2021

– 0 –

विषयान्तर्गत निवेदन है कि कलेक्टर जिला आगर–मालवा द्वारा संदर्भित आदेशों द्वारा प्रकरण में 275.28 हेक्टेयर शासकीय भूमि (ग्राम गरडा की 93.38 हेक्टेयर, ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हेक्टेयर, ग्राम बीड माधौपुर की 85.06 हेक्टेयर एवं ग्राम डोगरगांव की 33.98 हेक्टेयर) जिला होशंगाबाद, बैतूल एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड–गंजाल सिंचाई परियोजना के निर्माण में वनमण्डल होशंगाबाद, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल एवं हरदा की 2371.14 हे. वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने के एवज मे वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवंटित की गई है।

उपरोक्त आवंटित गैर वनभूमि रकबा 275.28 हे. में से ग्राम श्यामपुरा की 62.86 हेक्टेयर गैर वन भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है एवं 212.42 हे. की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजनाऐं निम्नानुसार तैयार कर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित है:–

क.	तहसील	ग्राम का नाम	आवंटित रकबा	सर्वे नम्बर	वैकल्पिक वृक्षा. रोपण योजना रकबा	रोपण योग्य रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	सुसनेर	गरडा	93.380	292/2, 304/1, 304/3, 305, 308, 309, 310, 311	78.380	23.380	37000	21193400
2				219	15.000	10.000	15000	10315448
3	सुसनेर	बीड माधौपुर	85.060	215	4.000	2.000	2000	4135808
4				190,192,193,199,213, 215	38.250	21.000	33000	17628413
5				151,158,160,	19.090	10.000	16000	11238128
6				34,35	20.720	10.000	16000	11301378
7				16	3.000	1.000	1000	1541984
8	सुसनेर	डोगरगांव	33.980	461 to 467	33.980	20.000	32000	16086488
	महायोग		212.420		212.420	97.380	152000	93441047

उपरोक्त अनुसार 212.42 हे. गैर वन भूमि में स्थल उपयुक्तता अनुसार 152000 पौधे रोपण की योजना तैयार की गई है. शेष 60420 पौधा रोपण की योजना RDF में निम्नानुसार प्रस्तावित की जाकर तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रेषित है:–

क.	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	कक्ष क.	प्रस्तावित रकबा	योजना अनुसार प्रस्तावित पौधा संख्या	योजना राशि
1	आगर	श्यामगढ़	पी–13	30.00	15000	11400876
2		भाजना	पी–22	25.00	12000	9597039
3		गहुडिया	पी–14	36.00	33420	15983295
				91.00	60420	36981210

संलग्न–उपरोक्तानुसार(02 प्रति)।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल, शाजापुर

कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी, केसली दक्षिण (सा.) वनमंडल, सागर (म.प्र.)
☎ 07586-224523 Email-rotkesli@mp.gov.in

क्रमांक 1106 केसली , दिनांक 28/12/2023

प्रति,

श्रीमान् वन मण्डल अधिकारी महो.
दक्षिण वन मण्डल सागर

विषय :- जिला होशंगाबाद , बैतूल , एवं हरदा के अंतर्गत मोरण्ड गंजाल सिचाई परियोजना के निर्माण में वनमण्डल होशंगाबाद , उत्तर बैतूल , पश्चिम बैतूल एवं हरदा की 2371.14 हेक्टेयर वनभूमि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को उपयोग पर देने बाबत् ।

संदर्भ :- श्रीमान् वनमण्डल अधिकारी महो. दक्षिण सागर के पत्र क्रं./मा.चि./06/2023/3432 सागर दिनांक 13.12.2023।

--00--

उपरोक्त विषयांकित संदर्भ में निवेदन है कि तहसील केसली अंतर्गत मोरण्ड गंजाल बृहद सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु आरक्षित गैर वनभूमि पर वृक्षारोपण हेतु उक्त स्थलों के सीमांकन एवं हस्तातरण की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा लंबित है। सीमांकन की कार्यवाही न होने पर वनण्डल कार्यालय से प्राप्त यूजर ऐजेन्सी द्वारा तैयार की गयी के.एम.एल. फाईल अनुसार विभिन्न स्थलों के 11 वर्षीय प्राकक्लन तैयार किये गये है उक्त प्राक्कलन यूजर एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराई गयी के.एम.एल.अनुसार तैयार किये गये है। अतः मौके पर सीमांकन एवं हस्तांतरण की कार्यवाही उपरांत स्थल में आंशिक परिवर्तन होने पर स्थलों की परिधि में आंशिक अंतर होना संभावित है। तदानुसार उक्त स्थलों की उपलब्धता अनुसार पुनः संशोधित प्राक्कलन पृथक से प्रस्तुत किये जावेगें । साथ ही पूर्व वर्षों में वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्रों में किये गये विशिष्ट उपचारों से वृक्षारोपणों की सफलता को देखते हुये उक्त प्राक्कलन की सफलता सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट उपचारों का समायोजन उक्त प्राक्कलनों में किया गया है ।

अतः उपरोक्तानुसार प्राक्कलन तैयार कर अवलोकनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

क्रं.	परिक्षेत्र का नाम	ग्राम का नाम	स्थल का विवरण	11 वर्षीय प्राक्कलन की राशि
1	2	3	4	5
1	केसली	भुहांरा	खसरा नं. 20 , 21 , 232, 246 रकवा 108.05 हे.	100044585
2	केसली	बिलैकी	खसरा नं. 3 रकवा 21.60 हे.	24791362
3	केसली	बिलैकी	खसरा नं. 109 रकवा 11.30 हे.	16034260
4	केसली	बिलैकी	खसरा नं. 21 , 22 , 24 रकवा 32.93 हे.	34603705
5	केसली	चक्क बिलैकी	खसरा नं. 71 रकवा 18.10 हे.	20543355
6	केसली	खटौला	खसरा नं. 24 , 84/1 रकवा 42.00 हे.	42494377
7	केसली	झिरिया	खसरा नं. 402/1 रकवा 30.10 हे.	29175042
8	केसली	झिरिया	खसरा नं. 444 , 447 रकवा 26.60 हे.	27899617
9	केसली	पटना खुर्द	खसरा नं. 336 रकवा 14.54 हे.	17551957
10	केसली	पटना खुर्द	खसरा नं. 673 रकवा 41.56 हे.	39579099
11	केसली	चिरई	खसरा नं. 103 रकवा 100 हे.	84499829
12	केसली	रेंगाझोली	खसरा नं. 234/1 रकवा 16.50 हे.	19325475
			कुल रकवा 428.63 हे.	456542663

कुल रकबा 463.28 हेक्ट

संलग्न :- प्राक्कलन उपरोक्तानुसार 3 प्रतियों में ।

कुल सही रकबा 463.28 हेक्ट. है।

(शैलेन्द्र तिवारी)
रा.व.से.
वनक्षेत्रपाल
वन परिक्षेत्र अधिकारी केसली

Scanned with CamScanner